कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

lnL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

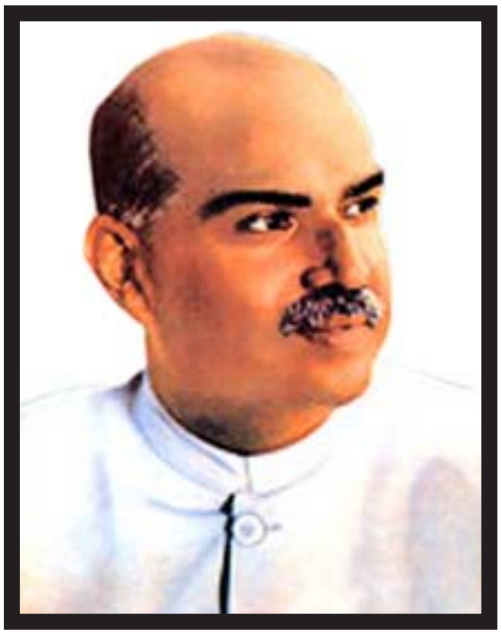

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी (6 जुलाई 1901 - 23 जून 1953)

रिपोर्ट : उ.प्र. में ध्वस्त कानून व्यवस्था

मायाराज बना आतंक राज 7

लेख

अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक शीघ्र बुलाई जाए
&ykyÑ".k vkMok.kh 10

एक खतरनाक मसौदा
&v#.k tVyh 13

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान
&fot; dekj 16

गैरकांग्रेसी राज्य सरकार के साथ कांग्रेसी केन्द्र सरकार का भेदभाव.
&ân;ukjk;.k nhf{kr 18

प्रदेशों से

उत्तराखण्ड 6
दिल्ली 21
मध्यप्रदेश 29

अन्य

भाजपा किसान मोर्चा 26
भाजपा राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बैठक 27
भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ 28

संपादक के नाम पत्र

vk- lkiknd egkn;]

कमल संदेश (जून 16–30, 2011) पढ़ा। आपने 3 और 4 जून को लखनऊ में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की विस्तृत जानकारी देकर हमें लाभान्वित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेसनीत संप्रग शासन में बढ़ते भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलकर देश के करोड़ों लोगों के आक्रोश को अभिव्यक्त किया है। श्री गडकरी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर सही निशाना साधा है कि भ्रष्टाचार के मामले में वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वास्तव में कांग्रेसनीत यूपीए शासन में बढ़ती महंगाई और घोटालों के चलते लोग परेशान हैं। खाद्य पदार्थों, पेट्रोल–डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है। देश की जनता सही समय पर यूपीए को अवश्य सबक सिखाएगी।

lkjHk dekj d.k
;ygdk] cyx:

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

–सम्पादक

सम्पादकीय

जमीनी कार्यविस्तार पहली आवश्यकता

सन् 2014 की तैयारी के साथ–साथ भारतीय जनता पार्टी को देशभर में अपने न केवल वैचारिक बल्कि सांगठनिक विस्तार की ओर भी ध्यान देना होगा। भाजपा आम राजनैतिक दलों की तरह जनता के बीच जाएगी तो जनता उसे स्वीकार करने में आनाकानी करेगी। भाजपा को लोग कांग्रेस की तरह नहीं देखना चाहते। कांग्रेस भारत की मजबूरी है, मजबूती नहीं। भाजपा देश की मजबूती है, मजबूरी नहीं। भाजपा को आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल के साथ–साथ उत्तर प्रदेश उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, हरियाणा के साथ–साथ पंजाब और उत्तराखंड के साथ–साथ झारखण्ड में भी कार्य विस्तार की योजना बनानी होगी। वहीं भाजपा जहां मजबूत है, उसे वहां प्रभावी बनाना होगा। इस दिशा में भाजपा नेतृत्व को कोई ठोस योजना अवश्य बनानी चाहिए।

भाजपा में संघर्षशील और जुझारू कार्यकर्ताओं, खासकर जो जमीनी हैं, उसे आसमानी नेताओं से बचाना होगा। दल में कागजी और बयानी नेताओं की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक जनता की समस्याओं के लिए संघर्षशील नेताओं की आवश्यकता है। महंगाई और भ्रष्टाचार पर बयान भी चाहिए, परन्तु आर–पार की लड़ाई लड़ने वाली टीम–टोली और कार्यकर्ता भी अवश्य चाहिए। देश भाजपा से निर्णायक लड़ाई की अपेक्षा करता है। भाजपा से देश अखबारी आंदोलन या 'सत्याग्रह' नहीं बल्कि जयप्रकाश जी द्वारा प्रारम्भ किए आंदोलन की अपेक्षा करता है।

हम सभी देख रहे हैं कि देश की माली हालत खराब है, बल्कि देश किनके हाथों में है, समझ नहीं आ रहा है। भारत पहली बार असुरक्षित और संदिग्ध हाथों में जा चुका है। भारत ने कभी ऐसा काल नहीं देखा। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार तकनीकी दृष्टि से भले ही चल रही हो, पर यह भारत की पहली सरकार है जो भले ही कुर्सी से न गिरी हो पर अपनी ही नजरों और जनता की नजरों में वह लगभग एक वर्ष से गिर चुकी है। कुर्सी से गिरने वालों को सम्हाला जा सकता है, पर नजरों से गिरने वालों को नहीं। सीमाएं असुरक्षित। आम जन की जिन्दगी असुरक्षित। विदेश नीति को खतरा। संविधान असुरक्षित। मर्यादित संस्थाओं का भविष्य अधर में। संसद की महत्ता पर प्रश्नचिह्न। जनाक्रोश चरम पर। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सैन्य बलों का मनोबल थामना जरूरी है। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौजवानों के सामने अंधकारमय भविष्य। पड़ोसी देशों से बिगड़ते संबंध। कहीं पर भी देश सुरक्षित नहीं। प्रशासन चरमरा चुका है। महंगाई और भ्रष्टाचार गत एक वर्ष से भारतीय समाचार–पत्रों और चैनलों की प्रमुख खबरें हैं। किसानों की आत्महत्या के साथ–साथ जिन्दगी से निराश लोगों में आत्महत्या और सामूहिक आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

देश सबल नेतृत्व की बाट जोह रहा है। भाजपा में क्षमता है। भाजपा से देश को आशाएं भी हैं। भाजपा को अपने कार्य के विस्तार की ओर ध्यान देना होगा। दल कैसे बढ़े। सभी वर्गों में इसकी मान्यता कैसे ग्राह्य हो। भाजपा भारत की आशा की किरण है तो फिर भाजपा को अपनी कार्यपद्धति पर गंभीरता से विचार करना होगा। सभी राज्यों में एक विशेष योजना के तहत परिपक्व, समझदार एवं मर मिटने वाले

देशभक्त कार्यकर्ताओं की टोली उतारनी होगी। इस टोली को जनता के बीच भेजना पड़ेगा। जन–जन तक पहुंचने और आजादी प्राप्त करने की जुनून से जनता के बीच संघर्ष और समन्वय का सेतू खड़ा करना होगा। भाजपा यह कहकर बच नहीं सकती कि वह क्या करे क्योंकि करना तो उसे ही है। भारतीय जनता पार्टी देश को आह्वान करे और जैसे गांधीजी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अहिंसावादी नौजवानों को देश के लिए आह्वान किया था, ठीक वैसे ही भाजपा को देश के युवाओं को देश के लिए आह्वान कर उनके सामने संघर्ष का 'रोडमैप' रखना होगा। देश ऊब चुका है और वर्तमान कांग्रेस की और उसके यूपीए का चोला उतार फेंकना चाहता है। बस उसके सामने चाहिए एक देशभक्ति का तैयार चोला। यह देशभक्ति का चोला सिर्फ भाजपा ही तैयार कर सकती है। राष्ट्रवाद के उद्घोषकों से ही देश की अपेक्षा है। अतः जगना, उठना और फिर देश को खड़ा करने की महती जिम्मेदारी के लिए हमें तैयार रहना होगा। भाजपा यह कार्य कर सकती है। भाजपा के पूर्व जनसंघ ने किया भी था। आजादी की दूसरी लड़ाई भूमिगत क्रांति के माध्यम से तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने लड़ी। तत्कालीन जनसंघ के नेताओं को इंदिराजी के जेल का डर नहीं था। उन्होंने मौत को स्वीकारा पर झुके नहीं। आज भी भाजपा का नेतृत्व और कार्यकर्ता मां भारती के लिए मौत को स्वीकार कर सकता है पर आवश्यकता है कारगर योजना और उस पर अमल करने वालों की। हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा ईश्वर द्वारा प्राप्त इस कार्य को पूरा करने के लिए अवश्य आगे आएगी। ■

उत्तराखण्ड

यूपीए शासनकाल और 'रावणराज' में कोई फर्क नहीं : नितिन गडकरी

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संप्रग के शासन को 'रावणराज' की संज्ञा दी है। श्री गड़करी ने चार दिन की यात्रा पर उत्तराखण्ड प्रवास के दौरान 16 जून को जानकीचट्टी में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।

श्री गडकरी ने कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस की बर्बर कार्रवाई से केंद्र सरकार का जनविरोधी चेहरा सामने आ गया है। भाजपा अध्यक्ष ने यमुना के संरक्षण के लिये भी विशेष कार्ययोजना की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में भाजपा सरकार बनती है तो यमुना को भी गंगा की तरह राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा।

उन्होंने निशंक सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में संचालित अटल खाद्यान्न योजना से गरीबों को काफी राहत मिली है। गुरुवार को चारधाम की यात्रा पर यमुनोत्री पहुंचे गडकरी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित जानकीचट्टी में एक जनसभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान पर शांतिपूर्ण आंदोलन पर की गई कार्रवाई केंद्र में 'रावणराज' का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गंगा की तरह धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यमुना को संरक्षण की दरकार है। दिल्ली तक पहुंचते–पहुंचते यमुना नदी से नाले में तब्दील हो जाती है। ■

मायाराज बना आतंकराज

तीन दिन में 11 महिलाओं की इज्जत लुटी
सामूहिक बलात्कार के बाद जिंदा जलाया फिर आंखें फोड़ी

&fo'k"k lokNnkrk }kjk

eहिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाओं की इज्जत सरेआम लुट रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राज्य में पूरी तरह से जंगलराज स्थापित हो गया है। प्रदेश के हर जिले में महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। इतना ही नहीं बलात्कार के बाद उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है और उनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि प्रदेश में अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है क्योंकि राज्य में हो रहे बेतहाशा अपराधों के बाद भी सरकार चुप्पी साधे हैं।

हालत इस कदर भयावह है कि 20, 21, 22 और 23 जून को 72 घंटों में बलात्कार के कुल 11 मामले सामने आए। पूरा प्रदेश मानो एक तरह से सहम गया। सरकार जहां इन घटनाओं पर त्वरित कारवाई करने व इनसे सख्ती से निपटने का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक सुर में मुख्यमंत्री मायावती के इस्तीफे की मांग की है। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की दो और भारतीय दंड संहिता की एक धारा में संशोधन का फैसला किया है। इस संशोधन के जरिए दुष्कर्म के मुकदमों का फैसला छह महीने के अंदर आएगा। आरोपी जब तक खुद को निर्दोष न साबित कर दे, उसे जमानत नहीं मिलेगी।

महिलाओं के शील भंग के सभी कृत्यों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखे जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम मायावती सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से संघर्ष कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सूर्यप्रताप शाही ने कन्नौज बलात्कार काण्ड की शिकार दलित बालिका का हालचाल लिया तथा उसे पचास हजार रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध करायी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में जाकर पीडित परिवार से मुलाकात की।

72 घंटों में 11 महिलाओं की इज्जत लुटी

- लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना परिसर में एक सिपाही ने एक युवती सोनम की हत्या कर दी। हत्या से पहले उसने सोनम से बलात्कार की कोशिश की और सफल न होने पर उसने उसका गला घोंट दिया। बाद में दो अन्य सिपाहियों के साथ मिलकर उसने सोनम को पेड़ से लटका दिया ताकि देखने में ये खुदकुशी का मामला लगे।
- कन्नौज जिले में 18 जून को बलात्कार में विफल होने पर युवकों ने चाकुओं से किशोरी की आंखें फोड़ने की कोशिश की।
- एटा के सभापुर गांव के पांच दबंगों ने एक 35 साल की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद कहीं वो महिला उनको पहचान ना ले उन दबंगों ने उस महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया।
- एटा के ही फिरोजाबाद में 14 साल की किशोरी से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई।
- गोंडा जिले के करनैलगंज थाना इलाके में एक दलित किशोरी सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई। किशोरी शौच के लिए घर से निकली, तभी वहां पहुंचे कुछ लोगों ने किशोरी को बेहोश कर दिया और उसे उठा कर ले गए। बलात्कार के बाद हत्या कर लाश को ▸▸

भाजपा महिला मोर्चा ने की पूर्ण न्यायिक जांच की मांग

Hkkजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी ले प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत की सबसे घनी आबादी वाले राज्य में महिला के साथ बढ़ते हुए अपराधों की एक और भयानक स्मृति हमारे सामने है, जिसमें लखीमपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। यह अत्यंत घृणास्पद है कि वे लोग जिन्हें नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करनी होती है, वही एक मासूम बच्चे के जीवन का अंत कर देते हैं। यह और भी अधिक लापरवाही की बात है कि जो लोग 'दलितों के रक्षक' माने जाते हैं, वहीं कुमारी मायावती ने गहरी चुप्पी साध रखी है। आज मुख्यमंत्री का प्रशासन वर्दी वाले अपराधियों के प्रति नर्म रूख अपनाया जा रहा है, जो अत्यंत निंदात्मक है।

यदि आम आदमी की तथाकथित चैम्पियन यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और उनकी सरकार कुशासन की नींव पर चल रही मायावती की सरकार को चुनौती देना चाहेगी तो कम से कम और कुछ नहीं तो यूपीए को बीएसपी के समर्थन पत्र को वापस कर देना चाहिए, जिसे वह अभी तक अपने पास रखे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो बीएसपी और कांग्रेस दोनों पर ही जनता की अदालत में आरोप बना रहेगा कि वे राजनैतिक गठबंधन के बड़े साथी है और उधर आम आदमी कष्ट भोग रहा है एवं हम नाबालिग लड़की के मरने की कड़ी निंदा करते है और मांग करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के तत्त्वाधान में पूर्ण न्यायिक जांच कराई जाए एवं यदि दोषी पाए जाएं तो उन दोषियों को इस घृणास्पद अपराध की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ■

उत्तर प्रदेश में हर रोज होते हैं चार बलात्कार

वर्तमान में भले ही बलात्कार की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हों लेकिन ऐसी घटनाएं पिछले लंबे समय से लगातार हो रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, बीते वर्ष प्रदेश में 585 ऐसी घटनाएं हुईं। राज्य में एक दिन में औसतन चार महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। यह आंकड़ा तो पुलिस के पास है हकीकत इससे कहीं अधिक है।

राज्य में अपराधियों को मिलता है सरकारी संरक्षण

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि राज्य में अपराध थमे क्योंकि अपराधियों को सरकार ने स्वयं संरक्षण दे रख है। श्री शाही का कहना है कि राज्य की पुलिस भी अपराधियों का साथ दे रही है यदि ऐसा न होता अपराधियों की पकड़ अवश्य होती। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना ने तो पुलिस की तस्वीर भी लोगों के सामने ला दी है। श्री शाही ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने में विफल मायावती नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दें। ■

▸▸ गन्ने के खेत में फेंक दिया। किशोरी के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का तीन दिन पहले अपहरण हो गया था। जब वह अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया।

- कानपुर में एक महिला को कुछ लोग उसे उठा कर एक होटल में ले गए। जहां उससे सामूहिक बलात्कार किया गया।
- फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज कस्बे में 20 जून को एक महिला से छेड़खानी और विरोध करने पर गोली मारकर गम्भीर रूप से उसे घायल करने का मामला सामने आया।
- मऊ जिले में 22 जून को एक महिला ने दो पुलिसकर्मियों सहित चार लोगों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया।
- घोसी इलाके में एक 42 वर्षीया महिला ने आरोप लगाया कि गत 18 जून को घोसी इलाके के एक ढाबे में वह खाना खाने गई थी, जहां ढाबा मालिक और दो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बलात्कार किया और बाद में दोनों पुलिसकर्मियों ने मऊ अड्डे पर ले जाकर एक रोडवेजकर्मी के साथ फिर से सामूहिक बलात्कार किया।
- उन्नाव जिले में एक किशोरी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। जिले के नौबतपुर गांव में 16 वर्षीया किशोरी के साथ पड़ोस के एक युवक ने 21 जून को उस समय बलात्कार किया जब वह घर में अकेली थी।
- मुजफ्फरनगर में दो लड़कियों ने आरोप लगाया कि दो वाहनों में सवार लोगों ने उनके साथ बलात्कार की कोशिश की। ये लड़कियां देहरादून से दिल्ली जा रही थीं। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ■

पत्रकार डे की हत्या की सीबीआई जांच हो : गडकरी

गत 11 जून को 'मिड–डे' के वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे को चार अज्ञात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी। 15 जून को भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिख कर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की नृशंस हत्या पर जांच कार्य की धीमी गति पर गहरी चिंता प्रगट की और जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग का समर्थन भी किया। उनके पत्र का हिन्दी भावनानुवाद पाठ नीचे प्रस्तुत है:

Jh iFohjkt p0gk.k]
e|[;e=h] egkjk"V e=ky;]
eEcbZ

fo"k; % वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या की जांच

प्रिय पृथ्वीराज जी,

मैं आपको यह पत्र इस बात पर अपनी गहन चिंता जताने के लिए लिख रहा हूं कि वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री जे डे की अत्यंत नृशंस हत्या के पांच दिन बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

स्व. श्री डे का क्राइम रिपोर्टर के रूप में एक बेदाग रिकार्ड रहा है। वे निडर और सोद्देश्य रिपोर्टिंग के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखते थे। पूरे जीवन काल में उन्होंने कई तरीकों से पत्रकारिता के उच्च मानक स्थापित किए थे। जिन लोगों ने उनकी हत्या की वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति गम्भीर चुनौती बन गए हैं। मैं निजी रूप से और भाजपा में मीडिया बिरादरी के लोगों के साथ मिलकर इस पत्रकार बंधु के प्रति अपनी एकजुटता प्रगट करता हूँ और हम सभी इस स्थिति पर अत्यंत चिंतित हैं।

इस हत्या से जो स्थिति सामने आई है, उसे देखते हुए मैं सम्बन्धित कानून–व्यवस्था के अत्यंत गम्भीर मुद्दों पर गहन चिंता व्यक्त करता हूं। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने इस घटना को बड़ी गम्भीरता से लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस घटना में कुछ अन्डरवर्ल्ड डॉन के लोगों का हाथ होने की संभावना पर विचार करें, जो यहां देश और विदेश के लोग भी हो इस नृशंस अपराध में शामिल हो सकते हैं। जैसा मैंने समझा है कि इस घटना में आपराधिक तत्वों और आतंकवादी प्रवृत्तियों के लोग भी शामिल होने के संकेत मिलते हैं। मैं इस पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस अपराध के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों तथा सामान्य रूप से लोगों के मन में विश्वास पैदा हो सके।

यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मीडिया में पहले ही कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनसे इस मामले मे कुछ पुलिकर्मियों के शामिल होने के भी आरोप हैं। अनेक जर्नलिस्ट एसोसिएशनों ने भी राज्य पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी को जांच का कार्य सौंपने की मांग की है। सरकार ने एक पुलिस अधिकारी का जिसका इस में शामिल होने की बात कही गई है, पहले ही तबादला कर दिया है, इस बात को देखते हुए यह आवश्यक है कि जांच कार्य को बिना पूर्वाग्रह और विश्वसनीय ढंग से किया जाए।

अतः, हम औपचारिक रूप से मांग करते हैं कि इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए।

मुझे आशा है कि निर्भीक मीडिया कर्मियों के साथ खड़े होकर राज्य सरकार हमारे देश के जर्नलिज्म के निडर उत्तराधिकारों को निरंतर मजबूत करेगी।

धन्यवाद,

Hkonh;]
fufru xMdjh

अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक शीघ्र बुलाई जाए

&ykyÑ".k vkMok.kh

Hkkरतीय संविधान का पहला अध्याय भारत को 'राज्यों के संघ' के रुप में निरुपित करता है। संविधान सभा ने भारत को 'राज्यों का परिसंघ' कहने वाले प्रारुप को अस्वीकार कर दिया था। संविधान के प्रारुप को प्रस्तुत करते समय, प्रारुप समिति के चेयरमैन डा0 अम्बेडकर ने इस पहलू की इस तरह से व्याख्या की:

"यद्यपि भारत को एक परिसंघ होना था, पर यह परिसंघ राज्यों द्वारा एक परिसंघ में शामिल हाने के समझौते का परिणाम नहीं था, और यह परिसंघ किसी समझौते का परिणाम नहीं था, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। परिसंघ एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है।"

"हालांकि देश और लोग प्रशासन की सुविधा से विभिन्न राज्यों में विभक्त होंगे, देश एक संपूर्ण एकात्मक है, इसके लोग एक हैं और एक ही स्त्रोत से उदृत होने वाले एक सूत्र के तहत रहते हैं।"

"अमेरिकियों को यह स्थापित करने के लिए गृहयृद्ध लड़ना पड़ा कि राज्यों को पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है और यह कि उनका परिसंघ अनश्वर है। प्रारुप समिति सोचती है कि अभी इसे साफ करना ज्यादा अच्छा है बजाय इसे अनुमानों या विवादों पर छोड़ने के।"

दो शताब्दियों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को कभी नहीं स्वीकारा। उल्टे वे भारत को 'एक निर्माणाधीन राष्ट्र' मानते रहे। अपने राज करने के लिए मुस्लिम लीग ने द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त प्रतिपादित कर एक पृथक देश बनवाया। कम्युनिस्ट भारत को बहुराष्ट्रीय राज्य कहते थे।

लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधता वाले हमारे देश के लिए एक संघीय संविधान की आवश्यकता को स्वीकारते हुए भी डा0 भीमराव अम्बेडकर ने अपने शब्दों और लेखन में उपरोक्त भारत के उपरोक्त एकमात्र राष्ट्रवाद पर जोर दिया।

संविधान का अनुच्छेद 263 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि केन्द्र और राज्यों अथवा राज्यों में उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए वह एक अन्तर्राज्यीय परिषद गठित करे। भारत के संघवाद की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। जनसंघ के दिनों से ही हम इस प्रावधान का उपयोग कर परिषद गठित करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली कभी इसके लिए तैयार नहीं हुई।

सन् 1983 में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने केन्द्र –राज्य सम्बन्धों के समूचे पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से सरकारिया आयोग गठित किया था। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने ठीक ही दर्ज किया है:

"1967 से पूर्व केन्द्र और राज्यों के बीच पार्टी के स्तर पर उठने वाले विवादों या समस्याओं का समाधान करना ज्यादा आसान था क्योंकि केन्द्र और राज्यों मे एक ही पार्टी सत्ता में थी। 1967 से अनेक दल या केन्द्र में सत्तारुढ़ दल से अलग दलों का गठबंधन अनेक राज्यों में सत्तारुढ़ है। विभिन्न विचारों वाली इन राज्य सरकारों की दृष्टि क्षेत्रीय और अन्तर्राज्यीय समस्याओं पर भिन्न है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 263 के तहत परिपूर्ण चार्टर के साथ एक अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन अनिवार्यता बन गई है।"

अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन अंततः 1990 में किया गया। दुःखद यह रहा कि गठन के तुरंत बाद से ही परिषद निष्क्रिय हो गई। सन् 1996 तक, इसकी एक भी बैठक नहीं हुई। सन् 1998 में श्री वाजपेयी की सरकार में गृहमंत्री के रुप में, मैं इसे पुनर्जीवित करने में सफल रहा और एनडीए के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक

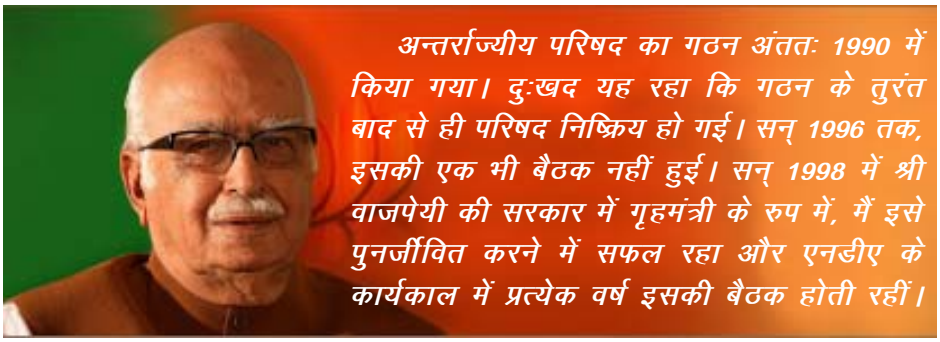

अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन अंततः 1990 में किया गया। दुःखद यह रहा कि गठन के तुरंत बाद से ही परिषद निष्क्रिय हो गई। सन् 1996 तक, इसकी एक भी बैठक नहीं हुई। सन् 1998 में श्री वाजपेयी की सरकार में गृहमंत्री के रुप में, मैं इसे पुनर्जीवित करने में सफल रहा और एनडीए के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती रहीं।

होती रहीं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत अनेक केन्द्रीय मंत्रियों सहित सभी मुख्यमंत्री इस अन्तर्राज्यीय परिषद के सदस्य थे।

सरकारिया आयोग के 19 अध्यायों वाली रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया गया।

लखनऊ में 3 और 4 जून को सम्पन्न भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पारित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसमें वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा संघवाद को निरन्तर उपेक्षित किए जाने को काफी सशक्त ढंग से उठाया गया है। यह प्रस्ताव गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया और कार्यकारिणी द्वारा पारित किया गया।

प्रस्ताव में भाजपा ने यह संकल्प लिए हैं:

- सरकारिया आयोग की केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर की गई सिफारिशों को तुरन्त पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए।
- ऐसे हमलों और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए एक फोरम की स्थापना हो। हम सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इन मुद्दों को उठाएंगे और आपसी सहयोग करेंगे। हम किसी भी गैर–कांग्रेसी राज्य पर हमला या भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे।
- अंतर्राज्यीय परिषद को और अधिक सशक्त बनाना यह अनुच्छेद 263 के अनुसार एक संविधानिक निकाय है।
- सीबीआई, सीएजी और सीवीसी के प्रमुखों की नियुक्ति को सरकार के शिकंजे से मुक्त कराना। चयन अधिशासी मंडल बिना किसी संशय के चयनित उम्मीदवार के प्रति स्वयं में पूरी तरह आश्वस्त होने चाहिए।
- सरकारिया और जस्टिस वेंकटाचलैया आयोग के संदर्भ में राज्यपालों की नियुक्ति, भूमिका और कार्यों पर पुनर्विचार पर राष्ट्रव्यापी चर्चा का आह्वान।
- हमारे राज्यों तथा संघीय शासन प्रणाली को कमजोर करने के गम्भीर खतरे के प्रति जन–जागरूकता पैदा करेंगे।

सन् 2006 से अब तक अन्तर्राज्यीय परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है। अब समय आ गया है कि परिषद की बैठक बुलाकर इन सभी उपरोक्त मुद्दों पर विचार किया जाए।

क्या संविधान संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियां असीमित हैं?

गोलकनाथ केस के रुप में प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद को ऐसे संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को छीनने या उनकी काट छांट करते हों।'

इसके 6 वर्ष पश्चात् सन् 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीकरी सहित 13 न्यायाधीशों ने 7 बनाम 6 के आधार पर माना कि यद्यपि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी भाग संसद की संशोधन शक्तियों से ऊपर नहीं है (गोलकनाथ केस के उलट), लेकिन "संविधान के आधारभूत ढांचे को किसी एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी नहीं समाप्त किया जा सकता है।"

बहुमत वाले निर्णय को लिखते समय न्यायामूर्ति सीकरी ने आधारभूत ढांचे को इंगित करते हुए ये तत्व बताए:

1. संविधान की सर्वोच्चता।
2. सरकार का एक गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक ढांचा।
3. संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र।
4. शक्तियों के पृथक्कीकरण को बनाए रखना।

मैंने इन सबका इसलिए स्मरण कराया क्योंकि आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के जरिये लोकतंत्र, संघवाद और शक्तियों के पृथक्कीकरण जैसी आवश्यक विशेषताओं को समाप्त प्रातः कर दिया गया था। इसलिए आपातकाल के दौरान केशवानन्द भारती निर्णय और संविधान के आधारभूत ढांचे संबधी सिद्धांत को बदलने तथा समाप्त करने के सुनियोजित प्रयास किए गए। 10 और 11 नवम्बर, 1975 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे की अध्यक्षता वाली 13 जजों की पीठ ने जल्दबाजी में इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस की सुनवाई शुरु की।

नानी पालखीवाला और फली नरीमन जैसे नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले बैरिस्टरों ने केशवानन्द सिद्धांत को समाप्त करने वाले सरकारी प्रयासों के विरुद्ध इतने शानदार ढंग से बहस की कि दूसरे दिन आते–आते मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे. ने पीठ में अपने को एकमात्र अल्पमत में पाया।

12 नवम्बर की सुबह मुख्य न्यायाधीश रे ने अचानक घोषणा की कि पीठ भंग की जाती है। केशवानन्द भारती आधारभूत ढांचा सम्बंधी सिध्दांत आज भी कानून बना हुआ है।

टेलपीस (पश्चलेख)

"लायबिलिटी काल्ड मनमोहन सिंह" शीर्षक से एक लेख 'पायनियर' समाचार पत्र में इसके रविवारीय स्तंभ लेखक हरिशंकर व्यास ने प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है:

"मनमोहन सिंह आपको अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की याद दिलाते हैं। जफर का शासन ज्यादा से ज्यादा पालम तक था, मनमोहन का अधिकार क्षेत्र दिल्ली की रायसीना पहाड़ी के सत्ता के केन्द्र तक सीमित है। समूचा राष्ट्र भ्रष्टाचार के

खिलाफ खड़ा हुआ है और आम आदमी के आक्रोश को महसूस कर रहा है और सत्ता के खिलाड़ी डरे हुए हैं कि देशभर से लोग दिल्ली की ओर मार्च करने लगेंगे।

जून के पहले सप्ताह में मनमोहन मोहम्मद शाह रंगीला बन गए। जब बताया गया कि शत्रु सेना दिल्ली पहुंच गई तो उसने अपने कमाण्डरों को शत्रु का स्वागत करने का आदेश दिया और उन्हें समझाने का।

प्रधानमंत्री ने भी अपने लोगों की हवाई अड्डे जाने को कहा तथा बाबा रामदेव को अपने आंदोलन न करने हेतु मनाने का प्रयास करने के लिए कहा। आज कल के दरबारी चतुर वकीलमंत्री हैं। अतः प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कपिल सिब्बल और सुबोधकांत सहाय ने रामदेव पर कठिन मेहनत की। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों ने सोचा कि शत्रु को मूर्ख बना दिया है और वह आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उल्टे पड़े इस ऑपरेशन ने 10 जनपथ को गुस्सा कर दियाः उनसे पूछा गया कि क्या यह शासन करने का तरीका है? 10 जनपथ से डांट खाने के बाद प्रधानमंत्री अपने दरबारियों से सिमटकर बैठे और पूछा आगे क्या? दरबारियों ने सलाह दीः "चंगेज खान के रास्ते पर चला जाए, जब हमारा शत्रु सो रहा होगा तब हमें उन पर हमला करना चाहिए तो सब भाग जाएंगे।

प्रधानमंत्री इस पर राजी हो गए और तब एकदम सच्चे चंगेजी ढंग से आदेश दिया गयाः पुलिस बल भेजो। और इस तरह, 4 जून की मध्यरात्रि को रामलीला मैदान में सो रहे लोगों पर कार्रवाई की गई तथा जनसमूह को वहां से भागने पर बाध्य किया गया। दो दिन बाद प्रधानमंत्री ने कहा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था।

बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला और चंगेज खान के मिलेजुले शासन में दिल्ली निश्चित रुप से सुरक्षित बनी लेकिन पालम से आगे के लोगों के गुस्से की कल्पना तो करिए।" ■

भ्रष्टाचार एवं तानाशाही के विरोध में प्रदर्शनी

'सोनिया के नेतृत्व वाली एनएसी भी निर्वाचित नहीं'

कांग्रेसनीत संप्रग शासन में भ्रष्टाचार, कालाधन और तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू ने किया। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने पर अड़े नागरिक समाज की यूपीए सरकार के मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं द्वारा आलोचना किए जाने पर श्री वेंकैया नायडू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में भी सभी सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, फिर भी सरकार उनकी सलाह को मानती है। अगर परिषद की बात मानी जा रही है तो नागरिक समाज को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। सरकार का यह तर्क कि किसी कानून को बनाने में संसद का मत अंतिम होता है सही है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है और इसे सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ने वालों को दबाना चाहती है, इसलिए तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। आपातकाल जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं।

श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के बारे में यूपीए सरकार का रुख जानने के बाद पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। केंद्र सरकार और नागरिक समाज के बीच इस मुद्दे पर उभरे तीखे मतभेदों को देखते हुए जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के संकेत की ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने पर नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा को इस बारे में अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मत है कि सरकार को पहले अपना मत स्पष्ट करना चाहिए।

श्री नायडू ने कहा कि यूपीए सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने और दबाने के लिए केंद्र सरकार तानाशाह रुख अपना रही है। रामलीला मैदान में जिस प्रकार सोते हुए लोगों पर लाठियां बरसाई गईं वह जलियांवाला कांड जैसी घटना से कम नहीं था। ■

साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम एवं लक्षित हिंसा (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक

एक खतरनाक मसौदा

&v#.k tVyh

साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम एवं लक्षित हिंसा (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011 नामक प्रस्तावित विधान का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है। प्रकट रूप से विधेयक का प्रारूप देश में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और इस संबंध में दंड दिये जाने के प्रयास के तौर पर नजर आता है। यद्यपि स्पष्ट रूप से प्रस्तावित कानून का यह मतंव्य है, तथापि इसका अमल मतंव्य इसके विपरीत है। यह एक ऐसा विधेयक है कि यदि यह कभी पारित हो जाता है तो यह भारत के संघीय ढांचे को नष्ट कर देगा और भारत में अंतर–सामुदायिक संबंधों में असंतुलन पैदा कर देगा।

वास्तव में विधेयक की विषय-वस्तु क्या है ?

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है 'समूह की परिभाषा"। समूह से तात्पर्य पंथिक या भाषायी अल्पसंख्यकों से है, जिसमें आज की स्थितियों के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया जा सकता है। विधेयक में दूसरे चैप्टर में नये अपराधों का एक पूरा सेट दिया गया है। खंड 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत अपराध उन अपराधों के अलावा है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन आते हैं। क्या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किया जा सकता है? खंड 7 में निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को उन हालात में यौन संबंधी अपराध के लिए दोषी माना जायेगा यदि वह किसी 'समूह' से संबंध रखने वाले व्यक्ति के, जो उस समूह का सदस्य है, विरूद्ध कोई यौन अपराध करता है। खंड 8 में यह निर्धारित किया गया है कि 'घृणा संबंधी प्रचार' उन हालात में अपराध माना जायेगा जब कोई

व्यक्ति मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर या स्पष्टतया अभ्यावेदन करके किसी 'समूह' आव किसी 'समूह' से संबंध रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध घृणा फैलाता है। खंड 9 में साम्प्रदायिक तथा लक्षित हिंसा संबंधी अपराधों का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति अकेले या मिलकर या किसी संगठन के कहने पर किसी 'समूह' के विरूद्ध कोई गैर–कानूनी कार्य करता है तो वह उसे संगठित साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा के लिए दोषी माना जाएगा। खंड 10 में उस व्यक्ति को दंड दिए जाने का प्रावधान है, जो किसी 'समूह' के खिलाफ किसी अपराध को करने अथवा उसका समर्थन करने हेतु पैसा खर्च करता है या पैसा उपलब्ध कराता है। यातना दिये जाने संबंधी अपराध का वर्णन खंड12 में किया गया है, जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी किसी 'समूह' से संबंध रखने वाले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है या मानसिक अथवा शारीरिक चोट पहुंचाता है। खंड 13 में किसी सरकारी व्यक्ति को इस विधेयक में उल्लिखित अपराधों के संबंध में अपनी ड्यूटी निभाने में ढिलाई बरतने के लिये दंडित किये जाने का प्रावधान है। खंड 14 में इन सरकारी व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान है जो सशस्त्र सेनाओं अथवा सुरक्षा बलों पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी कमान के लोगों पर कारगर ढंग से अपनी ड्यूटी निभाने हेतु नियंत्रण रखने में असफल रहते हैं। खंड 15 में प्रत्यायोजित दायित्व का सिद्धांत दिया गया है। किसी संगठन का कोई वरिष्ठ व्यक्ति अथवा पदाधिकारी अपने अधीन अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब रहता है, तो यह उस द्वारा किया गया एक अपराध माना जाएगा। वह उस अपराध के लिए प्रत्यायोजित रूप से उत्तरदायी होगा जो कुछ अन्य लोगों द्वारा किया गया है। खंड 16 के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस धारा के अंतर्गत किये गए किसी अपराध के बचाव के रूप में नहीं माना जायेगा।

साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान किए गए अपराध कानून और व्यवस्था की समस्या होती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकारों में आता है। केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में केन्द्र सरकार को कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों से निपटने का कोई प्रत्यक्ष प्राधिकार प्राप्त नहीं है;

न तो उनसे निपटने के लिए उसके पास प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है और न ही वह इस विषय पर कानून बना सकती है। केन्द्र सरकार का क्षेत्राधिकार इसे सलाह, निर्देश देने और धारा 356 के तहत यह राय प्रकट करने तक सीमित करता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं। यदि प्रस्तावित विधेयक ही केन्द्र सरकार राज्यों के अधिकारों को हड़प लेगी और वह राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर कानून बना सकेगी।

भारत धीरे–धीरे और अधिक सौहार्दपूर्ण अन्तर–समुदाय संबंधों की ओर बढ़ रहा है। जब कभी भी छोटी सा साम्प्रदायिक अथवा जातीय दंगा होता हे, तो उसकी निंदा हेतु एक राष्ट्रीय विचारधारा तैयार हो जाती है। सरकारें, मीडिया, अन्य संस्थाओं सहित न्यायालय अपना–अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निःसंदेह साम्प्रदायिक तनाव या हिंसा फैलाने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। तथापि इस प्रारूप विधेयक में यह मान लिया गया है कि साम्प्रदायिक समस्या केवल बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा ही पैदा की जाती है और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य कभी ऐसा नहीं करते। अतः बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ किए गए साम्प्रदायिक अपराध तो दंडनीय हैं। अल्पसंख्यक समूहों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध कतई दंडनीय नहीं माने गए हैं। अतः इस विधेयक के तहत यौन संबंधी अपराध इस हालात में दंडनीय है यदि वह किसी अल्पसंख्यक 'समूह' के किसी व्यक्ति के विरूद्ध किया गया हो।

किसी राज्य में बहुसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को 'समूह' में शामिल नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय विरूद्ध 'घृणा संबंधी प्रचार' को अपराध माना गया है जबकि बहुसंख्यक समुदाय के मामले में ऐसा नहीं है। संगठित और लक्षित हिंसा, 'घृणा संबंधी प्रचार', ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, जो अपराध करते हैं, यातना देना या सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही, ये सभी उस हालात में अपराध माने जायेंगे यदि वे अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य के विरूद्ध किये गये हों अन्यथा नहीं। बहुसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य कभी भी पीड़ित नहीं हो सकता।

विधयेक का यह प्रारूप अपराधों को मनमाने ढंग से पुनर्परिभाषित करता है। अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य इस कानून के तहत बहुसंख्यक समुदाय के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। केवल बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य ही ऐसे अपराध कर सकता है और इसलिए इस कानून का विधायी मंतव्य यह है कि चूंकि केवल बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य ही ऐसे अपराध कर सकते है, अतः उन्हें ही दोषी मानकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यदि इसे ऐसे स्वरूप में लागू किया जाता है, जैसा कि इस विधेयक में प्रावधान है, तो इसका भारी दुरूपयोग हो सकता है। इससे कुछ समुदायों के सदस्यों को ऐसे अपराध करने की प्रेरणा मिलेगी और इस तथ्य से वे और उत्साहित होंगे कि उनके विरूद्ध कानून के तहत कोई आरोप तो कभी लगेगा ही नहीं। आतंकी ग्रुप अब आतंकी हिंसा नहीं फैलाएंगे। उन्हें साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने में प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि वे यह मानकर चलेंगे कि जेहादी ग्रुप के सदस्यों को इस कानून के अन्तर्गत दंडित नहीं किया जाएगा।

कानून में केवल बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों को दोषी मानने का प्रावधान है। कानून में धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव क्यों किया गया है? अपराध तो अपराध है चाहे वह किसी समुदाय के व्यक्ति ने किया हो। 21वीं शताब्दी में एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है, जिसमें किसी अपराधी की जाति और धर्म उसको अपराध से मुक्त ठहराता है।

अधिनियम की क्रियान्विति कौन सुनिश्चित करेगा?

विधेयक में साम्प्रदायिक सौहार्द, न्याय और क्षतिपूर्ति के लिए एक सात सदस्यीय राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा। इन 7 सदस्यों में से कम से कम चार सदस्य (जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं) समूह अर्थात् अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसी तरह का एक प्राधिकरण राज्यों के स्तर पर भी गठित होगा। अतः इस निकाय की सदस्यता धार्मिक और जातीय आधार के अनुसार होगी। इस कानून के तहत अभियुक्त केवल बहुसंख्यक समुदाय के ही होंगे। अधिनियम का अनुपालन एक ऐसी संस्था द्वारा किया जाएगा, जिसमें निश्चित ही बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य अल्पमत में होंगे। सरकारों को इस प्राधिकरण को पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां उपलब्ध करानी होगी। इस प्राधिकरण को किसी शिकायत पर जांच करने, किसी इमारत में घुसने, छापा मारने और खोजबीन करने का अधिकार होगा और वह कार्यवाही करने, अभियोजन के लिए कार्यवाही रिकार्ड करने के साथ–साथ सरकारों से सिफारिशें करने में भी सक्षम होगा। उसके पास सशस्त्र बलों से निपटने की शक्ति होगी। वह केन्द्र और राज्य सरकारों के परामर्श जारी कर सकेगा। इस प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय स्तर पर एक कोलेजियम द्वारा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा में

विपक्ष के नेता और प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का एक नेता शामिल होगा। राज्यों में स्तर पर भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। अतः केन्द्र और राज्यों में इस प्राधिकरण के गठन में विपक्ष की बात को तरजीह दी जायेगी।

अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या होंगी

इस अधिनियम के तहत जांच के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जायेंगी वह असाधारण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत कोई बयान दर्ज नहीं किया जायेगा। पीड़ित के बयान केवल धारा 164 के तहत होंगे अर्थात् अदालतों के सामने। सरकार को इस कानून के तहत संदेशों और टेली–कम्युनिकेशन को बाधित करने और रोकने का अधिकार होगा। अधिनियम के खंड 74 के तहत यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घृणा संबंधी प्रचार का आरोप लगता है तो उसे तब तक पूर्वधारणा के अनुसार दोषी माना जायेगा जब तक वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता। साफ है कि आरोप सबूत के समान होगा। इस विधेयक के खंड 67 के तहत लोकसेवकों के खिलाफ मामला चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मुकदमे की कार्यवाही चलानेवाले विशेष सरकारी अभियोजन सत्य की सहायता के लिए नहीं, अपितु, पीड़ित के हित में काम करेंगे।

शिकायतकर्ता पीड़ित का नाम और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मामले की प्रगति रपट पुलिस शिकायतकर्ता को बताएगी। संगठित साम्प्रदायिक और किसी समुदाय को लक्ष्य बनाकर की जाने वाली हिंसा इस कानून के तहत राज्य के भीतर आन्तरिक उपद्रव के रूप में देखी जायेगी। इसका यह अर्थ है कि केन्द्र सरकार ऐसी दशा में अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल कर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने में सक्षम होगी।

इस विधेयक के मसौदे को जिस तरीके से तैयार किया गया है उससे साफ है कि यह कुछ उन कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है जिन्होंने गुजरात के अनुभव से यह सीखा है कि वरिष्ठ नेताओं को किसी ऐसे अपराध के लिए कैसे घेरा जाये, जो उन्होंने किया ही नहीं।

इस विधेयक के तहत जिन अपराधों की परिभाषा की गई है उन्हें जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। साम्प्रदायिक और किसी वर्ग को लक्ष्य बनाकर की जाने वाली हिंसा का तात्पर्य है राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने को नष्ट करना है। धर्मनिरपेक्षता के मामले में कुछ उचित मतभेद हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा जुमला है जिसका अर्थ अलग–अलग लोगों द्वारा अलग–अलग बताया जाता है। आखिर किस परिभाषा के आधार पर अपराध का निर्धारण किया जायेगा? इसी तरह सवाल यह भी है कि शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने से कोई ठोस निर्णय लेने के लए काफी गुंजाइश है कि शत्रुतापूर्ण माहौल का आशय क्या है।

इस प्रकार के कानून के अनिवार्य परिणाम ये होंगे कि किसी भी तरह के साम्प्रदायिक संघर्ष में बहुसंख्यक समुदाय को ही दोषी के रूप में देखा जाएगा। दोष की सम्भावना तब तक बनी रहेगी जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता। इस कानून के तहत बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य को ही दोषी ठहराया जायेगा। अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी सदस्य घृणा संबंधी प्रचार या साम्प्रदायिक हिंसा का अपराध कभी नहीं कर सकता। वास्तव में इस कानून के तहत उसे निर्दोष बताने की वैधानिक उपबंध है। केन्द्र और राज्य स्तर पर निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था को संस्थागत पूर्वाग्रह से निश्चय ही नुकसान होगा। इसकी सदस्यता संबंधी ढांचा जाति और समुदाय पर आधारित है।

e>s bl ckr esa dkbZ lansg ugha gS fd tks dkuwu r\`;kj fd;k x;k gS mlls ykxw djrs gh Hkkjr esa lEiznk;ksa ds chp vkil h fj'rksa esa dVqrk&oSeuL;rk Qsy tk;xhA ;g ,d ,slk dkuwu gS ftlds [krjukd nq"ifj.kke gksaxsA ;g r; gS fd blds nq:i;ksx fd;k tk;xkA 'kk;n bl dkuwu dk ,slk elkSnk r\`;kj djus ds ihNs ;gh mnns';; Hkh gSA blls vYila[;d lkEiznkf;drk dks iznkRlkgu feysxkA dkuwu esa lekurk vkSj fu"i{krk ds ewy fl)karksa dk mYya?ku fd;k x;k gSA राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद् में सामाजिक कार्यकर्ताओं से यह आशा की जा सकती है कि वे ऐसा खतरनाक और भेदभावपूर्ण कानून का मसौदा तैयार करें। यह आश्चर्य की बात है कि उस निकाय के राजनीतिक प्रमुख ने इस मसौदे को स्वी.ति कैसे प्रदान की। जब कुछ व्यक्तियों ने टाडा–आतंकवादी विरोधी कानून के खिलाफ एक अभियान को चलाया था, तो संप्रग के सदस्यों ने यह तर्क दिया था कि आतंकवादियों पर भी साधारण कानूनों के तहत मुकद्दमा चलाया जा सकता है। इससे अधिक कठोर कानून अब बनाया जा रहा है।

राज्य निराश होकर इस बात को देख रहे है कि जब केन्द्र सरकार इस प्रकार का गलत कदम उठाने जा रही है। उनकी शक्तियों को हड़पा जा रहा है। साम्प्रदायिक सौहार्द निष्पक्षता से प्राप्त किया जा सकता है न कि इसके विपरीत भेदभाव पैदा करके ऐसा किया जा सकता है। ■

(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं)

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान

&fo t ; d|ekj

Mk- श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामाप्रसाद जी को वि0वि0 की प्रबन्ध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की छोटी अवस्था में ही वे कलकत्ता वि0वि0 के उपकुलपति बने।

डा0 मुखर्जी ने जम्मू–कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए बलिदान दिया। परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए वे बिना अनुमति वहां गये और वहीं उनका प्राणान्त हुआ।

कश्मीर सत्याग्रह क्यों ?

भारत स्वतन्त्र होते समय अंग्रेजों ने सभी देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतन्त्र रहने की छूट दी। इस प्रक्रिया की देखभाल गृहमंत्री सरदार पटेल कर रहे थे। भारत की प्रायः सब रियासतें स्वेच्छा से भारत में मिल गयीं। शेष हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से तथा जूनागढ़, भोपाल और टोंक को जनदबाव से काबू कर लिया, पर जम्मू–कश्मीर के मामले में पटेल कुछ नहीं कर पाये क्योंकि नेहरू जी ने इसे अपने हाथ में रखा।

मूलतः कश्मीर के निवासी होने के कारण नेहरू जी वहां सख्ती करना नहीं चाहते थे। उनका मित्र शेख स्वतंत्र जम्मू–कश्मीर का राजा बनना चाहता था। दूसरी ओर वह पाकिस्तान से भी बात कर रहा था। इसी बीच पाकिस्तान ने कबाइलियों के वेश में हमला कर घाटी का 2/5 भाग कब्जा लिया। यह आज भी उनके कब्जे में है और इसे वे 'आजाद कश्मीर' कहते हैं।

नेहरू की ऐतिहासिक भूल

जब भारतीय सेनाओं ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, तो नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी। वे 'कब्जा सच्चा, दावा झूठा' वाले सामान्य सिद्धांत को भूलकर जनमत संग्रह की बात कहते हुए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। सं.रा.संघ ने सैनिक कार्यवाही रुकवा दी। नेहरू ने राजा हरिसिंह को विस्थापित होने और शेख अब्दुल्ला को अपनी सारी शक्तियां सौंपने पर भी

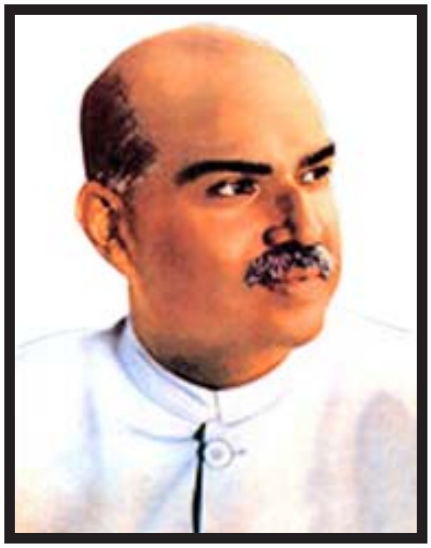

मजबूर किया।

शेख ने शेष भारत से स्वयं को पृथक मानते हुए वहां आने वालों के लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसने राज्य के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त कर लीं। अतः आज भी वहां जम्मू–कश्मीर का हल वाला झंडा फहराकर कौमी तराना गाया जाता है।

जम्मू–कश्मीर के राष्ट्रवादियों ने 'प्रजा परिषद' के बैनर तले रियासत के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन किया। वे कहते थे कि विदेशियों के लिए परमिट रहे, पर भारतीयों के लिए नहीं। शेख और नेहरू ने इस आंदोलन का लाठी–गोली के बल पर दमन किया, पर इसकी गरमी पूरे देश में फैलने लगी। 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान . नहीं चलेंगे' के नारे गांव–गांव में गूंजने लगे। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डा0 मुखर्जी ने अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग लेकर बिना अनुमति पत्र जम्मू–कश्मीर में जाने का निश्चय किया।

जनसंघ के प्रयास

इससे पूर्व जनसंघ के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाकर परिस्थिति का अध्ययन भी नहीं करने दिया गया। वस्तुतः शेख ने डा0 मुखर्जी सहित जनसंघ के प्रमुख नेताओं की सूची सीमावर्ती जिलाधिकारियों को पहले से दे रखी थी, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं आने देना चाहता था। यद्यपि अकाली, सोशलिस्ट तथा कांग्रेसियों को वहां जाने दिया गया। कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों वहां अपना अधिवेशन भी किया। स्पष्ट है कि नेहरू और शेख को जनसंघ से ही खास तकलीफ थी।

कश्मीर की ओर प्रस्थान

डा0 मुखर्जी ने जाने से पूर्व रक्षामंत्री से पत्र द्वारा परमिट के औचित्य के बारे में पूछा, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने बिना परमिट वहां जाने की घोषणा समाचार पत्रों में छपवाई और 8.5.1953 को दिल्ली से रेल द्वारा पंजाब के लिए चल दिये। दिल्ली स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें विदा किया। रास्ते में हर स्टेशन पर स्वागत और कुछ मिनट भाषण का क्रम चला।

इस यात्रा में डा0 मुखर्जी ने पत्रकार वार्ताओं, कार्यकर्ता बैठकों तथा जनसभाओं में शेख और नेहरू की कश्मीर–नीति की जमकर बखिया उधेड़ी। अम्बाला से उन्होंने शेख को तार दिया,

'' मैं बिना परमिट जम्मू आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य वहां की परिस्थिति जानकर आंदोलन को शांत करने के उपायों पर विचार करना है।'' इसकी एक प्रति उन्होंने नेहरू को भी भेजी। फगवाड़ा में उन्हें शेख की ओर से उत्तर मिला कि आपके आने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा।

गिरफ्तारी

अब डा0 मुखर्जी ने अपने साथ गिरफ्तारी के लिए तैयार साथियों को ही रखा। 11 मई को पठानकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्हें बिना परमिट जम्मू जाने की अनुमति दे दी गयी है। वे सब जीप से सायं 4.30 पर रावी नदी के इस पार स्थित माधोपुर पोस्ट पहुंचे। उन्होंने जीप के लिए परमिट मांगा। डि0कमिश्नर ने उन्हें रावी के उस पार स्थित लखनपुर पोस्ट तक आने और वहीं जीप को परमिट देने की बात कही।

सब लोग चल दिये, पर पुल के बीच में ही पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति आने तथा अशांति भंग होने की आशंका का आरोप लगाकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा तीन ए के अन्तर्गत पकड़ लिया। उनके साथ वैद्य गुरुदत्त, पं0 प्रेमनाथ डोगरा तथा श्री टेकचन्द शर्मा ने गिरफ्तारी दी, शेष चार को डा0 साहब ने लौटा दिया।

डा0 मुखर्जी ने बहुत थके होने के कारण सबेरे चलने का आग्रह किया, पर पुलिस नहीं मानी। रात में दो बजे वे बटोत पहुंचे। वहां से सुबह चलकर दोपहर तीन बजे श्रीनगर केन्द्रीय कारागार में पहुंच सके। फिर उन्हें निशातबाग के पास एक घर में रखा गया। शाम को जिलाधिकारी के साथ आये डा0 अली मोहम्मद ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। वहां समाचार पत्र, डाक, भ्रमण आदि की ठीक व्यवस्था नहीं थी।

वहां शासन–प्रशासन के अधिकारी प्रायः आते रहते थे, पर उनके सम्बन्धियों को मिलने नहीं दिया गया। डा0 साहब के पुत्र को तो कश्मीर में ही नहीं आने दिया गया। अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि आप घूमने जाना चाहते हैं, तो दो मिनट में परमिट बन सकता है, पर अपने पिताजी से मिलने के लिए परमिट नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील उमाशंकर त्रिवेदी को 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका' प्रस्तुत करने के लिए भी डा0 मुखर्जी से भेंट की अनुमति नहीं मिली। फिर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर यह संभव हो पाया।

हत्या का षड्यन्त्र

19–20 जून की रात्रि में डा0 मुखर्जी की पीठ में दर्द एवं बुखार हुआ। दोपहर में डा0 अली मोहम्मद ने आकर उन्हें 'स्ट्रैप्टोमाइसिन' इंजैक्शन तथा कोई दवा दी। डा0 मुखर्जी ने कहा कि यह इंजैक्शन उन्हें अनुकूल नहीं है। अगले दिन वैद्य गुरुदत्त ने इंजैक्शन लगाने आये डा0 अमरनाथ रैना से दवा के बारे में पूछा, तो उसने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

इस दवा से पहले तो लाभ हुआ, पर फिर दर्द बढ़ गया। 22 जून की प्रातः उन्हें छाती और हृदय में तेज दर्द तथा सांस रुकती प्रतीत हुआ। यह स्पष्टतः दिल के दौरे के लक्षण थे। साथियों के फोन करने पर डा0 मोहम्मद आये और उन्हें अकेले नर्सिंग होम ले गये। शाम को डा0 मुखर्जी के वकील श्री त्रिवेदी ने उनसे अस्पताल में जाकर भेंट की, तो वे काफी दुर्बलता महसूस कर रहे थे।

23 जून प्रातः 3.45 पर डा0 मुखर्जी के तीनों साथियों को तुरंत अस्पताल चलने को कहा गया। वकील श्री त्रिवेदी भी उस समय वहां थे। पांच बजे उन्हें उस कमरे में ले जाया गया, जहां डा0 मुखर्जी का शव रखा था। पूछताछ करने पर पता लगा कि रात में ग्यारह बजे तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक इंजैक्शन दिया गया, पर कुछ अंतर नहीं पड़ा और ढाई बजे उनका देहांत हो गया।

अंतिम यात्रा

डा0 मुखर्जी के शव को वायुसेना के विमान से दिल्ली ले जाने की योजना बनी, पर दिल्ली का वातावरण गरम देखकर शासन ने उन्हें अम्बाला तक ही ले जाने की अनुमति दी। जब विमान जालन्धर के ऊपर से उड़ रहा था, तो सूचना आयी कि उसे वहीं उतार लिया जाये, पर जालन्धर के हवाई अड्डे ने उतरने नहीं दिया। दो घंटे तक विमान आकाश में चक्कर लगाता रहा। जब वह नीचे उतरा तो वहां खड़े एक अन्य विमान से शव को सीधे कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे पर हजारों लोग उपस्थित थे। रात्रि 9.30 पर हवाई अड्डे से चलकर लगभग दस मील दूर उनके घर तक पहुंचने में सुबह के पांच बज गये। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किये। 24 जून को दिन में ग्यारह बजे शवयात्रा शुरू हुई, जो तीन बजे शवदाह गृह तक पहुंची।

इस घटनाक्रम को एक षड्यन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि डा0 मुखर्जी तथा उनके साथी शिक्षित तथा अनुभवी लोग थे, पर उन्हें दवाओं के बारे में नहीं बताया गया। मना करने पर भी 'स्ट्रैप्टोमाइसिन' का इंजैक्शन दिया गया। अस्पताल में उनके साथ किसी को रहने नहीं दिया गया। यह भी रहस्य है कि रात में ग्यारह बजे उन्हें कौन सा इंजैक्शन दिया गया ?

उनकी मृत्यु जिन संदेहास्पद स्थितियों में हुई तथा बाद में उसकी जांच न करते हुए मामले पर लीपापोती की गयी, उससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि यह नेहरू और शेख अब्दुल्ला द्वारा करायी गयी चिकित्सकीय हत्या थी। यद्यपि इस मामले से जुड़े प्रायः सभी लोग दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी निष्पक्ष जांच होने पर आज भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। ■

गैरकांग्रेसी राज्य सरकार के साथ कांग्रेसी केन्द्र सरकार का भेदभाव

& ân;ukjk;.k nhf{kr

rkनाशाही और लोकतंत्र साथ–साथ नहीं चलते। लोकतंत्र का मुख्य तत्व है सत्ता का विक्रेन्द्रीकरण। संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच सत्ता संचालन का सुस्पष्ट बंटवारा है। बावजूद इसके सोनिया नियंत्रित केन्द्र सरकार गैरकांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्र के भेदभाव से खफा हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र पर गुजरात के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा को कांग्रेसी राज्यपाल के जरिए परेशान किया जा रहा है। राज्यपाल ने कर्नाटक सरकार की बर्खास्तगी की रिपोर्ट भेजी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश को आवंटित कोयले की मात्रा न दिए जाने सहित ढेर सारे केन्द्रीय भेदभावों से परेशान हैं। गरीबों को चावल और गेहूं बांटने की योजना के लिए लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह बेहद हलकान हैं। केन्द्र ने राज्य का खाद्यान्न कोटा घटा दिया है। हिमांचल प्रदेश, उत्तराखण्ड व झारखण्ड की सरकारें भी केन्द्र के रवैय्ये से पीड़ित हैं। संघीय ढांचे पर प्रश्नचिन्ह है। सरकारिया आयोग की सिफारिशें मिमिया रही हैं। संविधान की खोल में असंवैधानिक तानाशाही है।

बिहार पिछड़ा राज्य है। केन्द्रीय मानक के अनुसार इस समय डेढ़ करोड़ परिवार गरीबी की रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) हैं लेकिन केन्द्र 65 लाख बी0पी0एल0 का ही खाद्यान्न व किरासिन दे रहा है। बिहार के पास सिर्फ 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। बिजली उत्पादन इकाईयों के ढेर सारे प्रस्ताव हैं। इनके लिए कोल लिंकेज की जरूरत है। केन्द्र हीलाहवाला कर रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्वीकृत राशि देने में भी बिहार भेदभाव का शिकार है। कई औद्योगिक घराने एथनाल उत्पादन की इकाईयां लगाने को तैयार हैं, लेकिन केन्द्र की अड़ंगेबाजी है। गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना के बारे में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री को जनवरी 2011 में पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने सरदार पटेल की कर्मभूमि कर्मसाद, गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर व गांधी नगर में जे0एन0यू0आर0एम0 योजना लागू करने का आग्रह किया था। केन्द्र ने गांधी जी की जन्मभूमि वाले प्रस्ताव को ही स्वीकृति दी। सरदार पटेल से जुड़े प्रस्ताव को टरका दिया। केन्द्र ने गुजरात का किरोसिन तेल कोटा भी 33 प्रतिशत घटाया है। गुजरात सरकार ने रसोई गैस की पाइप लाइन घरों तक बिछाई है। केन्द्र ने पाइप लाइन बिछाने के कार्य को भी गलत बताया है।

कांग्रेसी नेतृत्व संविधान और राज्यों द्वारा किए गए विकास का सम्मान नहीं करता। गैरकांग्रेसी सरकारों की लोकप्रियता उसे बर्दाश्त नहीं हैं। नरेन्द्र मोदी या नीतीश कुमार की तो कतई नहीं। गुजरात अब अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली बना रहा है। मोदी कम बिजली वाले राज्यों को बिजली देने को तैयार हैं लेकिन केन्द्र "ग्रिड संयोजन" नहीं करता। गुजरात कपास उत्पादक है। निर्यात की सुविधा नहीं। किसानों का नुकसान जारी है। कर्नाटक में रेशम धागे का आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से कर्नाटक की क्षति हुई। मध्य प्रदेश की थर्मल इकाइयों को मध्य प्रदेश के ही कोयला ब्लाकों से कोयला नहीं मिलता। केन्द्र चाहता है कि वह अन्य राज्यों से

सोनिया नियंत्रित केन्द्र सरकार गैरकांग्रेसी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्र के भेदभाव से खफा हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र पर गुजरात के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा को कांग्रेसी राज्यपाल के जरिए परेशान किया जा रहा है। राज्यपाल ने कर्नाटक सरकार की बर्खास्तगी की रिपोर्ट भेजी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश को आवंटित कोयले की मात्रा न दिए जाने सहित ढेर सारे केन्द्रीय भेदभावों से परेशान हैं। गरीबों को चावल और गेहूं बांटने की योजना के लिए लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह बेहद हलकान हैं।

कोयला उठाए, घाटा उठाए, सरकारी खर्च बढ़े। मानेसर पावर परियोजना के काम को बंद करने के केन्द्रीय आदेश हैं। उत्तराखण्ड का विशेष औद्योगिक पैकेज काटा गया। बवाल हुआ तो 2010 तक बढ़ाया गया। पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस राज्य के औद्योगीकरण और विकास पर भी केन्द्र की वक्रदृष्टि है। केन्द्र नक्सली हिंसा के विरूद्ध राज्यों को हर तरह की मदद का दावा भी करता है। लेकिन केन्द्र ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को औकात बताने के लिए माओवादी संगठनों से रिश्तों के दोषी विनायक सेन को योजना आयोग का सलाहकार बनाया है। तमिलनाडु की जयललिता से अभी उम्मीदें हैं, वरना उनके साथ भी यही भेदभाव होना है।

सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी संघीय ढांचे पर हमला किया है। पूरा विधेयक राज्य सूची (अनु0 246 की 7वीं अनुसूची की सूची 2) में वर्णित 'लोक व्यवस्था व पुलिस' से जुड़े राज्य के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण है। गुजरात विधानसभा ने 'संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक' दो बार पारित किया। राजस्थान की तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी ऐसा ही विधेयक पारित करवाया था लेकिन दोनो ही राज्यों में राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में ऐसा ही कानून (मकोका) लागू है। बिहार विधानसभा द्वारा पारित आधा दर्जन विधेयक राजभवन में हैं। झारखण्ड सरकार के दण्ड प्रक्रिया संशोधन, झारखण्ड विद्युत शुल्क, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय व वस्तुओं पर प्रवेश कर के अधिनियम राष्ट्रपति के विचारार्थ लम्बित हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 विधेयक 2009 से व 2 विधेयक 2010 से राजभवन में लम्बित हैं। कर्नाटक के राज्यपाल ने तो गौहत्या निरोधक विधेयक भी लटका रखा है। गुजरात में संगठित अपराधों वाले विधेयक के साथ ही 5 अन्य विधेयक राष्ट्रपति के यहां व 7 विधेयक राज्यपाल के यहां लम्बित हैं। मध्य प्रदेश सरकार के भी 6 विधेयक राष्ट्रपति भवन में हैं, इसमें गौरक्षा निषेध व संगठित अपराध रोकने वाले विधेयक शामिल हैं।

संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के बाद संघीय ढांचा बनाया था। केन्द्र और राज्य दोनों ही संविधान से शक्ति पाते हैं। संविधान सभा ने पं0 नेहरू के सभापतित्व में "संघीय अधिकार समिति" बनाई थी। उन्होंने सभा के अध्यक्ष को 'गोपनीय' शीर्षक से एक पत्र (5 जुलाई 1947) में लिखा था, "हमारे विधान का सर्वश्रेष्ठ ढांचा यही होगा कि एक संघ हो, शक्तिशाली केन्द्र हो। केन्द्र और प्रदेशों के बीच 3 सर्वांगीण सूचियां हों।" संविधान निर्माताओं ने तीन सूचियां बनाई। उन्होंने केन्द्र–राज्य सम्बंधों व राज्यों के विवादों के लिए 'अन्तर्राज्य परिषद' (अनु0 263) की व्यवस्था की। परिषद को राज्यों के विवाद व केन्द्र व राज्यों के सामान्य हित से जुड़े विषयों पर विचार करने व समाधान की सिफारिश करने के काम सौंपे गये। लेकिन कांग्रेसी केन्द्र ने परिषद का गठन नहीं किया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने परिषद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सूची के विषयों से सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रियों के साथ सभी मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाने की सिफारिश की। सरकारिया आयोग ने परिषद के गठन पर जोर दिया। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 28 मई 1990 में परिषद का गठन किया। इसकी पहली बैठक (10 अक्टूबर 1990) में मुख्यमंत्रियों ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर बल दिया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने परिषद की उपसमिति की बैठक में 'समवर्ती सूची' पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने खनिजों की रायल्टी के मामले राज्याधिकार में लाने की पैरवी थी।

> ***संविधान सभा ने पं0 नेहरू के सभापतित्व में "संघीय अधिकार समिति" बनाई थी। उन्होंने सभा के अध्यक्ष को 'गोपनीय' शीर्षक से एक पत्र (5 जुलाई 1947) में लिखा था, "हमारे विधान का सर्वश्रेष्ठ ढांचा यही होगा कि एक संघ हो, शक्तिशाली केन्द्र हो। केन्द्र और प्रदेशों के बीच 3 सर्वांगीण सूचियां हों।"***

लेकिन कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके ही सत्ता चलाती है। चौथे आम चुनाव तक केन्द्र व राज्यों के टकराव कांग्रेस का अंदरूनी मामला थे। फिर गैरकांग्रेसी सरकारें बनीं। कांग्रेसी केन्द्र ने स्वाभाविक ही भेदभाव किया। राज्यपालों का दुरूपयोग हुआ, सरकारों की बर्खास्तगी का खेल चला। योजना आयोग जैसी असंवैधानिक सत्ता ने राज्यों को औकात बताई। कर राजस्व के वितरण पर वित्त आयोग की व्यवस्था है लेकिन सरकारी भेदभाव जारी है। संप्रग के शासन में सभी संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति घटी है। प्रधानमंत्री का प्राधिकार घटा है। महामहिम राज्यपालों को मोहरा बनाया गया। मुख्य सतर्कता आयुक्त की गरिमा कांग्रेस ने ही गिराई है। लोक लेखा समिति में कांग्रेस प्रायोजित हुल्लड़ हुआ। नियंत्रक महालेखाकार (कैग) पर भी टिप्पणियां की गयीं। न्यायपालिका को भी हदें बताई गयीं। राज्य नाम की संवैधानिक इकाई व मुख्यमंत्री जैसी संस्थाएं भी कांग्रेसी कोप का शिकार हैं। परिणाम सामने है। आम जन संविधान तंत्र और संसदीय जनतंत्र को ही दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सारा दोष कांग्रेसी राजनैतिक संस्कृति का है। ■

यूपीए सरकार में कालाधन वापस लाने की इच्छाशक्ति ही नहीं

यगता है कि भ्रष्टाचार और काला धन जैसे प्रमुख मुद्दों पर यूपीए सरकार का रुख मनमर्जी और टालमटोल वाला है। एक तरफ सरकार काले धन पर कोई सार्थक कार्रवाई करना नहीं चाहती क्योंकि काले धन के पीछे कांग्रेस पार्टी की कई दिग्गज हस्तियां सामने आ जाएंगी और दूसरी तरफ यह सरकार काले धन को देश में वापस लाने की शांतिपूर्ण मांग करने वाले बाबा रामदेव जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुयायियों पर अमानवीय तथा नृशंस बर्बरता दिखाने में भी संकोच नहीं करती है।

मुझे खुशी है कि कल बाबा रामदेव ने अपना अनशन तोड़ दिया। अब उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संदेश फैलाने के लिए लोगों के पास जाना चाहिए। जिस गुपचुप ढंग से यूपीए सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दों पर काम कर रही है उसके प्रति लोगों में बड़ा आक्रोश और विद्रोही भाव है।

भ्रष्टाचार और कालेधन की बुराई पर तभी पार पाया जा सकेगा यदि हम बड़ा और पूर्ण दूरदृष्टिकोण रख कर काम करेंगे। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ वैध मुद्दे उठाए हैं जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सरकार को व्यापक बहस शुरू करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिनमें चुनावी और शैक्षिक सुधार जैसे सम्बन्धित मुद्दे भी शामिल हैं।

यदि सरकार अपनी मंशा और वचनबद्धता पर गम्भीर है तो उसे मानसून सत्र के तुरंत बाद संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि काले धन और भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय नीति निर्माण पर बहस हो सके जो सभी वर्तमान सरकारों के लिए एक गाइडलाइन का काम करे।

आज भ्रष्टाचार देश के लिए व्यवस्थागत जोखिम बन गया है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुगामी और

13 जून 2011 को भुवनेश्वर में पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

समयबद्ध रणनीति आवश्यक है। हालांकि सरकार ने अनेकों समितियां, उपसमितियां और पैनल बनाए हैं जिनकी रिपोर्टें भविष्य में आएंगी परन्तु जब तक काले धन को वापस लाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और व्यापक कार्य योजना नहीं होगी तब तक ये समितियां निरर्थक ही साबित होंगी।

विपक्षी दलों के दबाव में यूपीए सरकार ने 2005 में लागू हुईं कंवेशन के छह वर्ष बाद युनाइटेड नेशंस कंवेंशन अगेस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) को हाल ही में स्वीकृति दी हैं यूएनसीएसी को स्वीकृति देने का मतलब यह है कि भारत ने एसेट–रिकवरी पर सहमति दे दी है। सदस्य देशों द्वारा एसेट–रिकवरी की प्रक्रिया को क्रियान्वित होने की बाट जोह रहे हैं। भाजपा की मांग है कि प्रधानमंत्री कालेधन पर श्वेत पत्र जारी कर विदेशों से एसेट–रिकवरी के लिए सरकार की कार्ययोजना के विवरण प्रस्तुत करें।

उड़ीसा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले

उड़ीसा में भ्रष्टाचार के मामलों में हाल में आई तेजी से मुझे गहन चिंता हुई है। एक आरईजीए घोटाला, खनन घोटाला, दाल घोटाला, आदिवासी कल्याण के लिए आवंटित धनराशि के दिशा परिवर्तन और अनेक कई मामले हाल में प्रकाश में आए हैं। राज्य सरकार उड़ीसा की नदियों के बहाव में दिशा परिवर्तन करने में लगी है जिससे इस क्षेत्र के लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपक्षी दलों के इन मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया है और उच्च न्यायालय ने भी कुछ मामलों में सरकार को जांच करने के निर्देश दिए हैं। आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने इन्हें निराधार कह कर खारिज कर दिया है। उन्हें इस स्थिति से बचना चाहिए था क्योंकि उनकी सरकार में फैले भ्रष्टाचार को सिरे से नकार कर उनकी सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आ गई है। मुख्यमंत्री के लिए यही अवसर है कि वे खुद कुछ मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दे।

भाजपा मानती है कि यदि बीजेडी सरकार को उड़ीसा के लोगों से कुछ छुपाना नहीं है तो मुख्यमंत्री को इन

मामलों की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना चाहिए। उड़ीसा भाजपा इकाई ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। मैंने कल दो सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित किया था और लोगों की भीड़ उत्साहवर्धक थी। लोग राज्य सरकार की उपेक्षा और उदासीनता से थक गए हैं। वे अपने जीवन में कुछ सुधार देखना चाहते हैं परन्तु उड़ीसा में आर्थिक विषम व्यवस्था में निष्क्रियता तथा भ्रष्टाचार और भी गहराता चला जा रहा है।

भारत को अमरीकी न्यायालय के निर्णय का लाभ उठाए

राजनयिक क्षीण दृष्टि के कारण ढाई वर्ष बाद भी मुम्बई आतंकवादी हमलों के दोषियों को सजा न दिला पाने में यूपीए सरकार असफल रही है। जब भाजपा ने पांच वर्ष पूर्व 2006 में पुरी–भुवनेश्वर से 'भारत सुरक्षा यात्रा' शुरू की थी तो मैंने केन्द्र को पूर्व चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत–विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित और प्रायोजित करने में आईएसआई का गहरा हाथ है। मैंने सरकार से आईएसआई को 'इंटरनेशनल वाच' में रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने के लिए कहा था। शिकागो में फेडरल जूरी द्वारा लश्करे तैयबा को मौखिक समर्थन देने के लिए तहव्वुर राणा की सजा के बाद यूपीए सरकार के पास एक और अवसर है कि वह पाकिस्तान और आईएसआई पर दबाव डाल सके। सरकार को यूएसए के साथ रणनीतिक सहभागी बन कर आईएसआई, एलईटी और अन्य संगठनों के बीच उनका पर्दाफाश करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कूटनीतिक दबाव डालना चाहिए जिससे यूएनएससी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) द्वारा आईएसआई को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। ■

भ्रष्टाचार, कालाधन, तानाशाही के खिलाफ

भाजपा का सत्याग्रह

केन्द्र और दिल्ली सरकार में व्याप्त महाभ्रष्टाचार, कालाधन, रामलीला ग्राउंड के सत्याग्रहियों पर बर्बर अत्याचार तथा सरकार की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ 11 जून को दिल्ली भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में राजधानी के 14 प्रमुख स्थानों पर जोरदार सत्याग्रह करके दिल्ली तथा केन्द्र की जनविरोधी सरकारों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की रणभेरी बजा दी। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्लीव्यापी चल रहे सत्याग्रह को सम्बोधित किया और सरकार हटाने का आह्वान कार्यकर्ताओं तथा आम जनता से किया। चिलचिलाती धूप की तनिक भी परवाह न करते हुए हजारों बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवकों ने सरकार के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाए और उसका तख्ता पलटने का संकल्प किया। दिल्लीव्यापी धरने को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, विजय गोयल, शाहनवाज हुसैन, आरती मेहरा, वाणी त्रिपाठी, प्रो. ओम प्रकाश कोहली, डॉ. हर्षवर्धन, प्रो. जगदीश मुखी आदि वरिष्ठ नेताओं ने भी सम्बोधित किया।

प्रदेश अध्यक्ष ने एन्ड्रयूज गंज में सत्याग्रहियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सच यह है कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मनमोहन सिंह, श्रीमती शीला दीक्षित सहित पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाने में व्यस्त है। उन्होंने 4/5 जून की रात रामलीला मैदान के सत्याग्रहियों पर सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस के तांडव को आजादी के बाद का सबसे बर्बर अत्याचार बताया।

यह सत्याग्रह दिल्ली के 14 स्थानों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चला। ये स्थान हैं – पालम फ्लाइओवर (राजनगर), नांगलोई डिपो, एंड्रयूजगंज, कल्याणपुरी बस टर्मिनल, टाउन हाल (चांदनी चौक), उत्तम नगर टर्मिनल, आजाद नगर (अग्रवाल स्वीट्स), कन्हैया नगर चौक (त्रिनगर), मधुबन चौक, खजूरी चौक, हमदर्द चौक (सेंट्रल स्कूल के सामने), शाहदरा मेन चौक, सिद्धार्थ होटल के सामने (पूसा रोड) और सुभाष नगर मोड़। सभी स्थानों पर भारी तादाद में स्थानीय जनता ने भी भाजपा के सत्याग्रह में हिस्सा लिया और संकल्प किया कि वे क्रूर, भ्रष्ट तथा अन्यायी केन्द्र और दिल्ली सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। ■

भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है संप्रग सरकार : अनंत कुमार

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार द्वारा 09 जून, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

Vkज कांग्रेस–संप्रग सरकार की स्थिति उस समुद्री जहाज की तरह है, जो पतवार रहित है। इसकी कोई दिशा नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्टीयरिंग व्हील कैप्टन के हाथों में नहीं है। यद्यपि जहाज की कप्तानी का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री पर है, तथापि उनके पास कप्तान की शक्ति व अधिकार नहीं हैं। गांधी परिवार, जिसके पास जहाज की दिशा और गति निर्धारित करने की अपार शक्ति है, जहाज द्वारा खराब मौसम का सामना करने या तरंगित पानी में उतरते ही अपनी तमाम जवाबदेही से अलग हो जाता है। प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार ने प्रधानमंत्री को वास्तविकता छिपाने का कार्य सौंप रखा है ताकि असली शक्तियों द्वारा पर्दे के पीछे राजनीतिक हेरा–फेरी करने में आसानी हो सके और यही सत्य है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार एक देयता बन गई है और वह अपने आपको सरकार के कृत्यों से दूर कर रही है। संप्रग के स्वरूप अन्तर्निहित विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यद्यपि कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्षा, स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली संविधानेतर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के माध्यम से, सारा श्रेय लेने के लिए सदैव आतुर रहती हैं, परंतु सरकार के गलत कार्यों से तुरंत अपने आपको अलग कर लेती हैं। हालांकि वे कार्य कांग्रेस हाईकमान के कहने पर ही क्यों न किए गए हों। प्रधानमंत्री सरकार को नहीं चला रहे अपितु, कांग्रेस अध्यक्षा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में उनके किचन मंत्रिमंडल द्वारा सरकार चलाई जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी और सरकार अलग–अलग दिशाओं से कार्य कर रही प्रतीत होती हैं और मंत्रिगण प्रायः कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्षा के कहने पर ज्यादा काम करते हैं और प्रधानमंत्री के अनुदेशों के अनुसार कम। आज प्रधानमंत्री एक नाम मात्र मुखिया बनकर रह गए है जबकि नाजुक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार और वास्तविक शक्ति कांग्रेस हाईकमान के हाथों में है।

यह बात हाल की कुछ लगातार हुई घटनाओं से स्पष्ट हो गया है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है – बाबा रामदेव द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध चलाए गए आंदोलन से निपटने में संप्रग सरकार द्वारा अपनाए गए रवैये में परस्पर विरोधाभास।

1. सरकार के भीतर 'राजनीतिक' अथवा 'नीति–निर्धारण' तय करने के बारे में वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा वार्ता आरंभ करने के रवैये में मत–भिन्नता होना, जबकि गृहमंत्री, श्री चिदम्बरम और मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल जैसे तेज मिजाज और चालबाज व्यक्तियों द्वारा कठोर रवैया अपनाने और आक्रमणकारी 'नीति–निर्धारण रवैया अपनाने की पैरवी करना।

कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्षा, स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली संविधानेतर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के माध्यम से, सारा श्रेय लेने के लिए सदैव आतुर रहती हैं, परंतु सरकार के गलत कार्यों से तुरंत अपने आपको अलग कर लेती हैं। हालांकि वे कार्य कांग्रेस हाईकमान के कहने पर ही क्यों न किए गए हों। प्रधानमंत्री सरकार को नहीं चला रहे अपितु, कांग्रेस अध्यक्षा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में उनके किचन मंत्रिमंडल द्वारा सरकार चलाई जा रही है।

इस प्रकार का विरोधाभास और सरकार को बचाने के लिए अपने आपको अधिक वफादार साबित करने की तीव्र इच्छा से स्थिति पूरी

तरह बिगड़ गई है जिसमें कांग्रेस और संप्रग अपने आपको आज देख रही है।

2. स्पष्टतया बाबा रामदेव के आंदोलन से निपटने के लिए 'नीति–निर्धारण' संबंधी रवैया कांग्रेस अध्यक्षा के कहने पर अपनाया गया और प्रधानमंत्री को धूर्ततापूर्ण कार्यवाही (क्रैकडाउन) के बारे में अंधेरे में रखा गया।
3. संप्रग के इस प्रकार एक व्यक्ति के सुप्रीम होने की लड़ाई के परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार अलग–अलग भाषाओं में बात कर रही हैं और पार्टी वास्तव में सरकार की कार्यवाही का उत्तरदायित्व नहीं ले रही। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में सरकार मामले के राजनीतिक हल निकालना चाहती थी, जोकि बाबा रामदेव के साथ वार्ता के लिए मंत्रियों का एक सशक्त दल तैनात करने से स्पष्ट है। बड़े रहस्यमय ढंग से किसी ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए कड़ी कार्यवाही करने की मांगों को स्वीकार न करने के लिए ओवरटाइम काम किया और सारे मामले खत्म हो जाएं और यह सुनिश्चित हो जाए कि भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए सार्थक कार्यवाही न हो।
4. आंदोलनकारियों को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा की गई निर्मम कार्यवाही से इस समूची प्रक्रिया के पीछे बदले की भावना का पता चलता है। बौखलाई हुई कांग्रेस–संप्रग सरकार ने आधी रात को अपने नागरिकों पर निर्मम आक्रमण किया। सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि रामलीला मैदान में सत्याग्रहियों के विरूद्ध इस प्रकार की कठोर कार्यवाही करने का आदेश किसने दिया था। एक शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ इस प्रकार के घृणित और शर्मनाक हमले के लिए उत्तरदायी मंत्री अथवा पुलिस अधिकारी का पर्दाफाश होना चाहिए और उसे अपने पद से हटाया जाना चाहिए।
5. कार्यवाही को उचित बताते हुए मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने टीवी चैनलों को बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही से दूसरे लोग सबक लेंगे।
6. कांग्रेस–संप्रग सरकार स्पष्ट रूप से यह संदेश देना चाहती थी कि पार्टी और सरकार का विरोध काम वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा उनका दमन किया जाएगा।
7. jkeyhyk enku e neudkjh mik;k d mi;kx tfy;kokyk ckx gR;kdkM dh ;kn fnykrk g D;kfd ;g dk;okgh vokfNr Fkh vkj t:jr l T;knk fuee FkhA fu%l gk; lk jgh efgykvk] cPpk vkj o) ykxk ij ifyl }kjk ccjrkiw.k dk;okgh l cny dh Hkkouk l dh xbZ dk;okgh dk irk pyrk gA tfy;kokyk ckx dh rjg cn vknkyu LFky dk lHkh vkj l ?kj fy;k x;k rkfd ;g lfuf'pr gk ld fd dkbZ Hkh cp u ldA <d g, iMky {k= e vJq xl d xky NkMu] fueerkiw.k ykBhpktZ vkj ifyl dÆe;k }kjk iRFkj Qduk ;g lfuf'pr djuk Fkk fd dkbZ Hkh 0;fDr fcuk pkfVy g, u fudy ik,A

;g lHkor% ,d lkpk&le>k fu.k; Fkk tk nHkkouki.k vk'k; l fy;k x;k Fkk rkfd dkxl ikVÊ d lŸkk dn e igpu oky Hk"V ykxk d fo:) dBkj dk;okgh l cpk tk ldA

8. यह दुर्भाग्य की बात है कि इस कांग्रेस–संप्रग पर उस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब कट्टर अलगाववादियों और राष्ट्र–विरोधी तत्वों ने राजधानी में एक सेमीनार किया, जिसमें खुले तौर पर राजद्रोह और भारत को तोड़ने की मांग की गई थी। उस समय सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और कोई बल प्रयोग नहीं किया। न तो धारा 144 लगाई गई और न ही निष्कासन आदेश ही जारी किए गए थे। कांग्रेस–संप्रग सरकार अलगाववादियों और राष्ट्र–विरोधी ताकतों को पूरी आजादी देने के लिए तैयार है परंतु उन आध्यात्मिक नेताओं और शांतिपूर्ण राष्ट्रभक्त नागरिकों को नहीं जो सार्वजनिक जीवन में सुचिता और पारदर्शिता और भ्रष्टाचार और कालेधन की बुराई से निपटने के लिये कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
9. पुलिस द्वारा की गई अनुचित पुलिस कार्यवाही के लिये प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया औचित्य पूर्णतया असंवेदनशील और निस्पंद है। प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई उदासीनता और किसी प्रकार का सरोकार न दिखाना चौंकाने वाला है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बढ़ते हुए तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने की बू आती है जिसका आभास सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से होता है।
10. यह स्मरण करना उचित होगा कि

वर्ष 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा बदनाम आपातकाल घोषित करने के ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं द्वारा इसी प्रकार की भाषा, मुहावरों और कर्कश स्वरों का प्रयोग किया गया ताकि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को दबाने और अपनी गद्दी बचाने को उचित ठहराया जा सके।

11. यह बड़े दुःख की बात है कि न तो श्रीमती सोनिया गांधी और न ही उनके वारिस श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस–संप्रग सरकार द्वारा समूचे देश में चलाये जा रहे दमनचक्रम की निंदा की है। इससे कांग्रेस अध्यक्षा और गांधी परिवार की इस सम्बंध में संलिप्तता और मिलीभगत का पता चलता है। श्रीमती सोनिया गांधी को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से लोगों को वंचित रखने के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए तथा इस सम्बंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

12. श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भट्टा–परसौल में किसानों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों सम्बंधी मामला उठाया था, परन्तु रामलीला मैदान मे निस्सहाय नागरिकों पर पुलिस के अत्याचारों की निंदा करने में उसी प्रकार जोश और उत्सुकता नहीं दिखाई। इससे उनकी राजनीतिक स्वार्थसाधकता का पता चलता है और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी वचनबद्धता का पर्दाफाश होता है।

13. कांग्रेस के महासचिव, श्री दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेसी प्रवक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र और गलत भाषा से पुनः यह साबित होता है कि इसमें कांग्रेस अध्यक्षा की स्पष्ट सहमति है क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणियों और भाषा की न तो निंदा की गई और न ही इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक ही लगाई गई। इसके विपरीत इसको खुले तौर पर उचित ठहराया जा रहा है और इससे ज्यादा बेकार की और घटिया भाषा और मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे देश में राजनीतिक माहौल और भी अधिक खराब होगा। इससे कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के अन्तर्निहित अलोकतंत्री और तानाशाही रवैये का पता भी चलता है।

भाजपा मांग करती है कि कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को सरकार की नीतियों और कार्यों के विरूद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने वाले नागरिकों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिये राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए।

14. भ्रष्टाचार कांग्रेस–संप्रग सरकार का एक विशिष्ट चिह्न बन गया है। जिस एक बात के लिये यह सरकार याद की जा रही है, वह है राष्ट्र के बहुमूल्य संसाधनों की खुली लूट और तब तक कोई सार्थक कार्यवाही करने की नितान्त अनिच्छा जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार अनिवार्य न हो जाये। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रमंडल खेलों, 2जी स्पेक्ट्रम, ''एस बैंड'', आदर्श सोसायटी अनाज, महंगाई आदि से सम्बंधित भारी घोटालों और स्टिंग आपरेशनों के बावजूद किसी प्रकार के गलत कार्य के होने से इन्कार करते रहे और उसका बचाव करते रहे और उन्हें उचित ठहराते रहे। कांग्रेस–संप्रग सरकार का प्रत्येक कार्य भारी भ्रष्टाचार से पूर्ण है और उससे अपराधियों को माफ करने और उन्हें संरक्षण देने मे पूर्ण मिलीभगत का पता चलता है।

15. जो एकमात्र कार्यवाही सरकार ने की है, वह उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कड़ी निगरानी करने और मीडिया द्वारा उसे उजागर किये जाने और भाजपा द्वारा संसद और संसद के बाहर व्याप्त भ्रष्टाचार को निरन्तर प्रकाश में लाने के कारण थी। अन्यथा, वह मामले को दबाना और उसे छिपाना ही बेहतर समझती है। जो भी कार्यवाही की जा रही है वह केवल सरकार पर डाले गये निरंतर दबाव के कारण ही है।

भाजपा मांग करती है कि कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को सरकार की नीतियों और कार्यों के विरूद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने वाले नागरिकों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिये राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें बाबा रामदेव और उनके अनुयायियों द्वारा किये गये आन्दोलन को आंतक फैलाकर और अत्याचार ढहा कर दबाने के लिये निर्भय पुलिस बल का प्रयोग करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए और उसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। ■

क्या एफ.बी.आई और आईएसआई के बीच कोई सौदा हुआ है : रविशंकर प्रसाद

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 10 जून, 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

दया शिकागो मुकद्दमे में 26/11 मुंबई हमले में तहव्वुर हुसैन राणा का बरी किया जाना किसी सौदे का एक हिस्सा है। सुबह से ही टीवी मीडिया तहव्वुर हुसैन राणा के आतंक संबंधी भिन्न अपराधों, जिनमें लश्करे तैयबा के साथ उसके गहरे संबंध और उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचने तथा 26/11 के मुंबई हमले में उसकी संलिप्तता शामिल है, के बारे में शिकागो की कोर्ट में जूरी ट्रॉयल में दिए गए निर्णय का समाचार दे रहा है। प्रतीत होता है कि निर्णय के अनुसार उसे लश्करे तैयबा से मिलकर षड्यंत्र रचने और डेनमार्क में एक बहुत बड़े आतंकी हमले में शामिल होने के लिए दोषी पाया गया है। तथापि, जहां तक 26/11 के भयंकर मुंबई हमले का संबंध है उसे इसमें बरी किया गया है। हालांकि इस हमले में पाकिस्तान से आये आतंकवादियों द्वारा सैंकड़ों निर्दोष भारतीय और विदेशी नागरिकों की हत्या की गई थी। उसी मुकद्दमे में पली–बारगेन की सहायता से डेविड हेडली ने इस हमले को अमली–जामा पहनाने के लिए आतंकियों को उसकी योजना बनाने, प्रशिक्षण देने और सार्थक समर्थन देने में आई.एस. आई. के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने के बारे में विस्तार से साक्ष्य दिए थे। हमें यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी नौसेना ने भी आतंकियों को प्रशिक्षण दिया था।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (एफबीआई) अमेरिकी कोर्ट में इस मुकद्दमे को चलाया था। यह बड़ा ही विचित्र प्रतीत होता है कि यद्यपि तहव्वुर राणा को लश्करे तैयबा (जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है) के साथ मिलकर षड्यंत्र करने और डेनमार्क में आतंकी हमले करने का दोषी पाया गया। लेकिन, उसे 26/11 के हमले में बरी कर दिया गया। क्या एफबीआई मुकद्दमे संबंधी साक्ष्य उचित रूप से कोर्ट के समक्ष रखे गए थे? चूंकि यह एक नाजुक मुकद्दमा था, क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अभियोजन पक्ष की अमेरिकी एजेंसियां इस पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही करें?

देश यह अवश्य ही जानना चाहेगा कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा का बरी किया जाना एफबीआई और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच किसी सौदे का एक हिस्सा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएसआई स्पष्ट रूप से कठघरे में है। यह बात तय है कि यह समूचा आपरेशन केवल आईएसआई के मेजर इकबाल के कमान के अंतर्गत क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था। वह और नौसेना के अन्य अधिकारी, जिन्होंने लश्करे तैयबा तथा अन्य, जिन्होंने वास्तव में हमला किया, को सार्थक प्रशिक्षण दिया। वे लोग ऐसा आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों और पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों के कमान पर कर रहे थे। इन सभी बातों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए था, जिससे आईएसआई को भारी फज़ीहत का सामना करना पड़ता। स्वाभाविक तौर पर इसमें गंभीर संदेह है तथा आशंका भी है। हाल ही में अमेरिका प्रशासन ने पाकिस्तानी नेतृत्व को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शरण दिए जाने के मामले में क्लीन चिट दी थी। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार समूचे मामले की उचित जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि अमेरिकी कानून के तहत अभियोजन एजेंसियों द्वारा एक

देश यह अवश्य ही जानना चाहेगा कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा का बरी किया जाना एफबीआई और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच किसी सौदे का एक हिस्सा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएसआई स्पष्ट रूप से कठघरे में है।

अपील दाखिल की जाए। न्यूयार्क की एक कोर्ट में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में मारे गए यहूदियों के कुछ संबंधियों ने भारी नुकसान के लिए एक मुकद्दमा दायर किया है, जिसमें आईएसआई के मुखिया को सम्मन जारी किए गए हैं। भारत सरकार को इस मुकद्दमे के सफलतापूर्वक निपटने में पूरी रूचि लेनी चाहिए क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय न्याय बार के समक्ष आईएसआई द्वारा आतंक को प्रायोजित किए जाने का पर्दाफाश करने का अवसर मिलेगा। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार को भारतीय समुदाय और उन भारतीयों, जो इस आतंकी हमले के पीड़ित है, को एकजुट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि शिकागो मुकद्दमे की 'न्यूयार्क कोर्ट' में चल रही कार्यवाही में पुनरावृत्ति न हो। भारत के गृहमंत्री, श्री चिदंबरम द्वारा कही गई यह बात रिकार्ड पर है कि 26/11 के मुंबई हमले में आईएसआई कथित रूप से शामिल है, जिसके बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

संप्रग सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि देश के लोग यह चाहते हैं कि मुम्बई में 26/11 के हमले में शामिल सभी आतंकियों, उनके संरक्षकों एवं प्रायोजकों को दण्डित किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पहले ही काफी देरी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की देखरेख में जिस लापरवाह तरीके से उन आतंकियों की सूची तैयार की गई थी, उससे पहले ही हमारी भारी आलोचना हो चुकी है। सरकार को मुम्बई हमले में आतंकियों की दोषसिद्धि के लिय सतर्कतापूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए और एक बार फिर सीमापार से देश को आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ कड़े उपाय करने चाहिए।■

खरीफ के फसलों के समर्थन मूल्य में मामूली बढोतरी दुर्भाग्यपूर्ण : ओमप्रकाश धनकड़

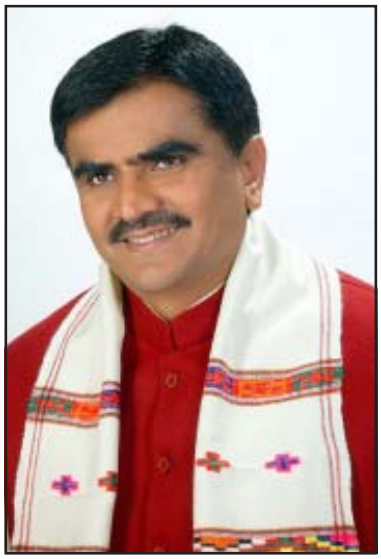

Hkkरतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक श्री ओमप्रकाश धनकड़ ने 10 जून को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि खरीफ के फसलों के समर्थन मूल्य में मामूली बढोतरी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जानती है, गत वर्ष धान का समर्थन मूल्य अच्छा नहीं मिलने और समय पर खरीद नहीं होने पर और अति वृष्टि के कारण हुए नुकसान के कारण अकेले आंध्र प्रदेश मे 300 से अधिक किसान आत्महत्या करने को विवश हुए।

उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई उत्पादन लागत और कमरतोड़ महगाई के समय में धान के समर्थन मूल्य में केवल 80 रुपये प्रति क्विंटल तथा कपास के समर्थन मूल्य में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भिन्न–भिन्न राज्यों में धान की प्रति क्विंटल लागत ही 1200 रुपये से 1450 रुपये के मध्य है इसलिए यह समर्थन मूल्य किसान मोर्चा अस्वीकार करता है। धान और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कम से कम 500 रुपये बढ़ाया जाए। इसलिए सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 1500 रुपये और ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य इससे अधिक किया जाए। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के रेसे की कपास का समर्थन मूल्य 3000 रूपये और लंबे रेसे वाले कपास का समर्थन मूल्य 3500 रूपये प्रति क्विंटल किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय के धान के समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल बढोतरी के सुझाव को अस्वीकार करने से स्पष्ट है की कांग्रेसनीत संप्रग सरकार में घोर किसान विरोधी लोग बैठे है। सरकार का बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने का नारा कितना खोखला है। एक बार यह फिर स्पष्ट हो गया है। क्योकि स्वामीनाथन आयोग लागत मूल्य में 50% किसान का पारिश्रमिक जोड़कर समर्थन मूल्य तय करने का सुझाव देता है। सरकार सभी राज्यों के धान के लागत मूल्य को प्रकाशित करे। हम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करेंगे कि वो अपने अपने राज्यों के धान के लागत मूल्य को प्रकाशित करे। इस से स्पष्ट हो की किसानों को कितना घाटे में रख कर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मोर्चा देश भर में इस दुर्भाग्यपूर्ण और किसान के प्रति अन्यायपूर्ण निर्णय का विरोध करेगा तथा सरकार से पुनः आग्रह करेगा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करे। ■

2014 में केन्द्र में राजग सरकार भाजपा का लक्ष्य : गडकरी

laoknnkrk }kjk

Hkkरतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा असंगठित क्षेत्र में भी अपने पैर पसारने हैं ताकि जब 2014 का लोक सभा चुनाव आये तो भाजपा अन्य सभी दलों से आगे निकल जाये और हम राजग की अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जायें।'' ये शब्द भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पहली जून, 2011 को पार्टी के राष्ट्रीय संयाजकों व सह–संयोजकों की दो–दिवसीय बैठक के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुये पार्टी मुख्यालय, अशोक रोड, नई दिल्ली में कहे।

अपने 45 मिनट के सम्बोधन में उन्होंने कहा कि उनका 2014 मिशन अपने ही बलबूते पर 200 से अधिक सीटें जीतने का है। बाकी का समर्थन अपने आप ही मिल जायेगा, इसका उन्हें पूरा विश्वास है।

श्री गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के साथ कम से कम 10 ऐसे व्यक्तियों को जोड़े जिन्होंने कभी भाजपा को वोट नहीं डाला था। यदि हम इस महा अभियान में सफल हो जाते हैं तो केन्द्र में अगली सरकार बनाने से हमें कोई रोक नहीं पायेगा।

प्रकोष्ठों के कार्य के महत्व पर ज़ोर देते हुये श्री गडकरी ने कहा कि प्रकोष्ठ तो पार्टी के अभिन्न अंग हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को पार्टी से जोड़ने में उनका महत्वपूण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ इस बात का ध्यान रखें कि वे पार्टी के इंजन हैं डिब्बा नहीं ।

प्रकोष्ठ विचारधारा के अंग - रामलाल

इस दो–दिवसीय बैठक का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय महामन्त्री (संगठन) श्री रामलाल ने 31 मई को किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ हमारी विचारधारा के बिन्दु हैं और वह अपने–अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिये।

उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों को अपने साथ और अधिक लोग जोड़ने होंगे और यह आवश्यक नहीं है कि वह भाजपा के ही सदस्य हों। प्रकोष्ठों को अपनी कार्यशैली इस प्रकार सुनियोजित कर लेनी चाहिये कि पार्टी, पार्टी विचारधारा और राष्ट्र की सेवा के प्रति उन का योगदान और भी सुनियोजित हो। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन की भावना पैदा करने में प्रकोष्ठों का बड़ा योगदान होना चाहिये और यह कार्य वह अपनी कार्यशैली विकसित कर प्राप्त करें।

पहली जून को बैठक समाप्ति से पूर्व श्री राम लाल ने एक सत्र में भाग लिया जिसमें उन्होंने प्रकोष्ठों द्वारा उठाई शंकाओं का समाधान किया और प्रश्नों के उत्तर दिया। उन्होंने प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों को यह भी समझाया कि उन्हें क्या करना चाहिये और किस चीज़ से बचना चाहिये।

31 मई को बैठक मोर्चों/प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय समन्वयक श्री महेन्द्र पाण्डे के सम्बोधन से शूरू हुई जिसमें उन्होंने बताया कि इस बैठक का एजेण्डा क्या है। उन्होंने 7 पृष्ठ का एक परिपत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने प्रकोष्ठ गतिविधियों को और भी तेज़ व व्यापक बनाने के बिन्दु सुझाये। पिछली बैठक के बाद जिन नये प्रकोष्ठों के संयोजकों व सह–संयोजकों की नियुक्ति हुई थी उनसे सब का परिचय भी कराया।

कुछ प्रकोष्ठों ने अपने प्रकोष्ठों की गतिविधियों पर अपना दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण भी किया।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती नज़मा हेपतुल्ला ने भी एक दृश्य–श्रव्य प्रस्तुति से प्रकोष्ठों को जानकारी दी कि वह किस प्रकार संसद की स्टैण्डिंग कमेटी के साथ तालमेल बिठा कर जनता के विषय उठा सकते हैं।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य श्री विनय सहस्रबुद्धे ने बताया कि पार्टी को प्रकोष्ठों से क्या आशायें हैं और कुछ गुर भी दिये जिन से वह पार्टी के लिये अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं और प्रकोष्ठों की गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं।

सभी प्रकोष्ठों को उनके कार्य अनुसार पांच वर्गों में बांट कर वर्गशः विस्तृत चर्चा की गई जिसमें सब ने अपनी–अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का ब्यौरा दिया। इन सभी वर्गों की अलग–अलग बैठक भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर, पार्टी कार्यालय प्रमुख श्री ओम प्रकाश कोहली, अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चा प्रभारी श्री भगवतशरण माथुर, श्री विनय सहस्रबुद्धे, और श्री महेन्द्र पाण्डे ने ली। बाद में उन्होंने अपने–अपने वर्ग की अलग से रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

बीच–बीच में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री गजेन्द्र सोलंकी ने अपने राष्ट्रवादी गीतों को लय में गाकर सब को भावविभोर कर दिया।■

हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- किसान हितों की सुरक्षा : अरुण जेटली

jk ज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने 7 जून को भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रकोष्ठ को भूमि अधिग्रहण के लिए विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए ताकि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण पर पार्टी की रणनीति बनाई जा सके जिससे भूमि से बेदखल किए गए लोगों को किसी किस्म की शिकायत न रहे।

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित ''विकास बनाम विस्थापन'' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री अरुण जेटली ने इस बात पर बल दिया कि विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और भूमि के बदले भी किसी और वस्तु के साथ प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती है, परन्तु किसानों को भी इस ढंग से मुआवजा मिलना चाहिए कि उनकी चिंताए सदा सदा के लिए दूर हो जाएं।

श्री जेटली ने यह भी कहा कि सिंगुर और नन्दीग्राम प्रकरण के बाद देशभर में भूमि अधिग्रहण पर व्यापक बहस शुरू हो गई है और जैसा कि हाल के भट्टा परसौल आंदोलन से स्पष्ट हो गया है कि जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। भाजपा का मानना है कि किसी भी विकास परियोजना के लिए ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए जिस पर खेतीबाड़ी न होती है, जैसा कि गुजरात में होता है और किसी भी अनिवार्य परियोजना की खातिर भूमि अधिग्रहण आवश्यक हो जाती है तो उसके लिए भारी क्षतिपूर्ति पैकेज देकर किसानों को उस परियोजना में स्थायी रूप से ईक्विटीधारी बनाना चाहिए।

इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक श्री गोपाल के. अग्रवाल के तत्वाधान में श्री सांई

ओडिटोरियम, नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर, श्री पी.एस. वत्स, श्री एन.सी. माहेश्वरी, श्री सुभाष अग्रवाल थे।

इस विषय पर श्री सुभाष अग्रवाल ने 'एसोशैम' के विचारों को रखकर प्रतिनिधित्व किया।

अपने प्रमुख भाषण के रूप में भाजपा राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल अग्रवाल ने रियल एस्टेट सेक्टर के अधिग्रहण मे सुधारात्मक कार्य करने पर बल दिया और कहा कि रेगुलेटरी अथारिटी का निर्माण किया जाना चाहिए। उनका यह भी मत था कि सभी स्टेकहोल्डरों और विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों के साथ परामर्श करने के बाद भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव पर भी विचार करना आवश्यक है।

भारतीय किसान संघ के श्री पी. एस. वत्स ने कहा कि हमारे कृषि आधारित देश में अमानवीय ढंग से भूमि अधिग्रहण करना नितांत अनुचित है।

एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेम्बर्स आफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एन.सी. माहेश्वरी ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियामक मुद्दों और इस क्षेत्र की रेगुलेटरी अथारिटी पर विशेष ध्यान दिया।

श्री प्रकाश जावडेकर, सांसद ने कहा कि जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उसके मन को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उसको लाभ दिया जाना चाहिए और लाभ को बांटना चाहिए। इसके लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व सरकारी एजेंसियों को विश्वास निर्माण के कार्य को हाथ में लेना चाहिए। ■

'कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग को हमेशा वोट बैंक समझा'

lqokndkrk }kjk

Hkkरतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा भोपाल के इकबाल मैदान में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिह्न के साथ चांदी का मुकुट भेंटकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पूर्व में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्जवलित किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्ला शेख ने अतिथियों का स्वागत किया।

सम्मान समारोह में प्रदेश भर से आए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने मजहबी दीवार खड़ी कर अल्पसंख्यकवाद को परवान चढ़ाया और समाज में दरारें पैदा कीं। मध्यप्रदेश में मुसलमान न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि उन्हें बहुसंख्यकों की तरह प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं की तारीफ देश में भर में हो रही है। शिवराजसिंह चौहान अल्पसंख्यक के दिलों में राज करते है। ऐसी सभा मैंने अटलजी के बाद शिवराजसिंह चौहान ऐसे दूसरे व्यक्ति है जिन्हें इकबाल मैदान में अल्पसंख्यकों ने इतना बडा सम्मान दिया है। शिवराजसिंह चौहान काम और मोहब्बत के कारण अल्पसंख्यकों के दिलों में बैठते है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को मुख्यमंत्री के रूप में एक सच्चा मसीहा एवं हमदर्द मिला है। शिवराजसिंह चौहान ने जो उम्मीद की किरण दिखाई है उससे विरोधियों की नींद उड़ गयी है। उन्होंने हिन्दू और मुस्लिमों के बीच की खाई को पाट दिया है। शिवराजसिंह चौहान की कथनी ओर करनी में कोई अंतर नहीं है। वह सादगी की प्रतिमूर्ति है।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि समाज के हर वर्ग के हित के लिये मध्यप्रदेश की सरकार कृतसंकल्पित है। उन्होंने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कांग्रेस ने बांटने का काम किया है जबकि भाजपा यह मानती है कि हिन्दु और मुसलमान भारत माता के दो हाथ है। इनमें एक भी हाथ कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जायेगा। शिवराजसिंह चौहान ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि हिन्दु और मुसलमान के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जनता के सेवा भगवान की पूजा है। यही खुदा की इबादत है। जनता की खिदमत कर ली तो खुदा को खुश कर लेंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं

सहित गेहूं में 100 रू. का बोनस, लाडली लक्ष्मी योजनाओं का जिक्र किया है। गरीब के इलाज में कोई कमी नहीं की जायेगी चाहे वो किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हो। उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्ला शेख से कहा कि समाज में विकलांग लोगों को चिन्हित करे एवं उनको उपकरण दिलाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हम विकलांगों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कन्यादान योजना में एक तरफ पंडित पूरे विधि विधान के साथ विवाह करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर मौलवी निकाह पढ़वाते है। मुस्लिम समुदाय के लिए अनेकानेक योजनाएं चलायी जा रही है। भविष्य में भी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अधिक से अधिक राशि का प्रावधान कर उनके हितों के लिए योजनाएं तैयार की जायेंगी। मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग को समान अवसर, सुरक्षा और लाभ सुनिश्चित हो इसके लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्पित है।

देश में यदि अल्पसंख्यक आज भी अशिक्षित, विपन्न और पिछड़े हैं, तो इसकी जिम्मेवारी से कांग्रेस नहीं बच सकती। हिन्दू मुस्लिम साथ चले, देश में नया इतिहास रचे। इसी भावना के साथ मध्यप्रदेश और देश को मजबूत करने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि हम सब एक है हमारी और आपकी इबादत का तरीका अलग अलग हो सकते है लेकिन जाना सबको एक ही जगह है। उन्होंने कहा कि हमारा इस्तकबाल तो बहाना था हमें आपको गले लगाना था। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों के लिए भोपाल और इंदौर में हज हाउस बनाने का काम किया है। कांग्रेस के राज में जहां 10 हजार अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती थी वहीं आज मध्यप्रदेश में 81 हजार छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए अलग से हर जिले में छात्रावास बनाया जायेगा। उन्होंने अमर शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पर प्रतिभाशाली बच्चों को एक लाख रू. का पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बेदखल करने की हिदायत दी।

प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र बनी

भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए जो हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई जा रही है उसकी प्रदर्शनी प्रदेश भर से आए अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र रही।

प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण हमेशा अल्पसख्यकों के साथ वोट बैंक की राजनीति की। समाज में नफरत के बीज बोए, जिसने दिलों में दूरी पैदा की। भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ छवि, विकासोन्मुखी नीति के कारण मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा पार्टी की ओर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में 82 पार्षद अल्पसंख्यक समुदाय से चुने गए हैं और हर्ष की बात है कि उनमें से 36 पार्षद महिलाएं हैं। वरिष्ठ नेता आरिफ बेग ने शिवराजसिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी है। उन्होंने कहा कि इतनी बडी संख्या में मुसलमान भाई एवं बहनें शिवराज सिंह चौहान का इस्तकबाल करने आयी है यह सौभाग्य की बात है।

इस अवसर पर पूर्व सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा, वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी, कैलाश सारंग, ध्रुवनारायण सिंह, हिदायतुल्ला शेख, वरिष्ठ नेता आरिफ बेग, आलोक शर्मा, आलोक संजर, विजेश लुनावत, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग उपस्थित थे। मंच का संचालन ध्रुवनारायण सिंह ने किया। ■